NEXT IAS

AANKALAN

UPPSC MAINS 2024 (GS-IV) (PAPER VI)

TEST 6

1. क्या शासन में उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनैतिक साधनों को उचित ठहराया जा सकता है? समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

सुशासन उन प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है जिनके माध्यम से सार्वजनिक संस्थान अपने कार्यों का संचालन करते हैं और संसाधनों का प्रबंधन करते हैं। सुशासन में एक स्थायी नैतिक द्वंद्व यह है कि क्या धोखाधड़ी, बल प्रयोग या प्रक्रियात्मक शॉर्टकट जैसे अनैतिक साधनों को उच्च उद्देश्यों जैसे सार्वजनिक कल्याण या राष्ट्रीय हित के लिए उचित ठहराया जा सकता है। यह मुद्दा एक गहन और आलोचनात्मक विश्लेषण की माँग करता है।

सुशासन में उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अनैतिक साधनों को उचित ठहराया जा सकता है:

1. **आपात स्थितियों में उपयोगितावादी औचित्य**

   आपदा या युद्ध जैसे संकट के समय में तत्काल राहत सुनिश्चित करने के लिए नियमों को लांघना उचित हो सकता है। उदाहरण के लिए, COVID-19 महामारी के दौरान ऑक्सीजन की आपात खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया को दरकिनार करना जीवन रक्षक साबित हुआ, यद्यपि यह प्रक्रियागत मानकों का उल्लंघन था।

2. **राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु धोखे का प्रयोग**

   सरकारें राष्ट्रहित की रक्षा के लिए जानकारियों को छुपा सकती हैं या उनमें बदलाव कर सकती हैं। 1984 का ऑपरेशन मेघदूत सामरिक गोपनीयता के तहत सियाचिन ग्लेशियर पर कब्ज़े के लिए शुरू किया गया, जिससे पारदर्शिता और कूटनीति को लेकर नैतिक सवाल उठे, परंतु सीमा सुरक्षा सुनिश्चित हुई।

3. **भ्रष्टाचार के विरुद्ध गुप्त अभियान**

   स्टिंग ऑपरेशनों में अक्सर छल या फँसाने की रणनीति होती है, फिर भी यह भ्रष्ट अधिकारियों को उजागर करता है। तेहलका की जाँचों ने रक्षा घोटालों को सामने लाया, जिससे प्रणालीगत सुधार हुए, भले ही मीडिया की नैतिकता पर सवाल उठे।

4. **सार्वजनिक सुरक्षा हेतु बल प्रयोग**

   चक्रवात 'यास' या बाढ़ जैसे आपदाओं के दौरान जो लोग खाली करने से इनकार करते हैं, उन्हें जबरन निकाला जाता है। यद्यपि यह बल प्रयोग है, लेकिन यह जनहानि को रोकता है और परिणाम आधारित नैतिकता को प्राथमिकता देता है।

5. **आतंकवाद के विरुद्ध लक्षित निगरानी**

   पेगासस जैसे उपकरणों का प्रयोग भले ही गोपनीयता पर अतिक्रमण हो, परंतु यदि यह आतंकवादी हमलों की पूर्व सूचना देता है और विधिक निगरानी में हो, तो इसे संप्रभुता की रक्षा हेतु उचित ठहराया जा सकता है।

6. **राजनीतिक स्थिरता हेतु तुष्टिकरण**

   उग्रवादी समूहों से समझौता या क्षमादान देकर शांति स्थापना करना, जैसे बोडो समझौता, यद्यपि अनैतिक तत्वों से संवाद है, फिर भी यह दीर्घकालिक शांति और समावेशन को बढ़ावा देता है।

7. **त्वरित सेवा वितरण हेतु प्रक्रियाओं की अनदेखी**

   महामारी के दौरान बिना KYC सत्यापन के राशन या नकद वितरण में रिसाव संभव है, लेकिन इससे अंतिम व्यक्ति तक सहायता पहुँचती है। इससे समता और तात्कालिकता सुनिश्चित होती है, यद्यपि यह प्रक्रियात्मक कठोरता का उल्लंघन है।

सुशासन में उच्च उद्देश्यों हेतु अनैतिक साधनों को उचित नहीं ठहराया जा सकता:

1. **उद्देश्य साधनों को पवित्र नहीं बनाते**

   नैतिक शासन को प्रक्रियागत सत्यनिष्ठा और नैतिक उत्तरदायित्व पर आधारित होना चाहिए। यदि आवास योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन हेतु रिश्वत दी जाती है, तो इससे संस्थानों में नागरिकों का विश्वास समाप्त हो जाता है।

2. **कानून के शासन का ह्रास**

   अनैतिक उपाय संविधान की नैतिकता और विधिक प्रक्रिया को कमज़ोर करते हैं। उदाहरणतः नकली मुठभेड़ों में होने वाली गैर-न्यायिक हत्याएँ, भले ही अपराध नियंत्रण के नाम पर हों, मानवाधिकारों का उल्लंघन हैं।

3. **भ्रष्टाचार और पक्षपात का संस्थानीकरण**

   'काम करवाने के लिए भ्रष्टाचार को जायज ठहराना' रिश्वतखोरी को सामान्य बना देता है। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले में अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के नाम पर अनुबंधों की लागत बढ़ाई गई, जिससे भारी जनधन हानि हुई।

4. **लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व का हनन**

   गुप्त या अनैतिक निर्णय संसदीय जाँच और जन सहमति को दरकिनार करते हैं। जैसे 2020 में कृषि कानूनों को बिना पर्याप्त परामर्श के लागू किया गया, जिससे विरोध और अव्यवस्था उत्पन्न हुई।

5. **अल्पकालिक लाभ, दीर्घकालिक क्षति**

   अनैतिक कार्य त्वरित परिणाम दे सकते हैं, लेकिन शासन की संस्कृति को नुकसान पहुँचाते हैं। रिश्वत या सिफारिश से की गई पोस्टिंग योग्यता को खत्म कर देती है और प्रशासनिक क्षमता को प्रभावित करती है।

6. **नैतिक जोखिम और फिसलन भरी ढलान**

   एक बार अनैतिक साधनों को स्वीकृति मिल जाए, तो उनका दुरुपयोग शुरू हो जाता है। जाँच रिपोर्टों का राजनीतिक लाभ के लिए चयनित रूप से लीक करना, चाहे वह भ्रष्टाचार उजागर करता हो, प्रक्रिया न्याय का उल्लंघन करता है।

7. **जन असंतोष और लोकतांत्रिक विमुखता**

   यदि जनता को शासन में नैतिक पतन का आभास होता है, तो वे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से विमुख हो जाते हैं। चुनावों में नकद वितरण या झूठे वादे जैसी अनैतिक जनप्रियता लोकतांत्रिकता को कमज़ोर करती है।

8. **गांधीवादी नैतिकता का उल्लंघन**

   महात्मा गांधी ने माना कि पवित्र उद्देश्य केवल पवित्र साधनों से ही प्राप्त किए जा सकते हैं, क्योंकि प्रक्रिया ही परिणाम को आकार देती है। अच्छे शासन के लिए अनैतिक रास्ता अपनाना भारत की नैतिक और दार्शनिक विरासत के खिलाफ है।

निष्कर्ष

शासन में परिणाम-आधारित दक्षता और नैतिक वैधता के बीच संतुलन आवश्यक है। सीमित और संदर्भ-आधारित अपवाद भले ही उचित लगें, फिर भी संस्थागत नैतिकता, पारदर्शिता, विधिक प्रक्रिया और नागरिक-उन्मुख उत्तरदायित्व को सुशासन का मूल बनाया जाना चाहिए। भारत को एक मज़बूत नैतिक प्रशिक्षण व्यवस्था, विधिक सुरक्षा उपाय और सहभागी तंत्र की आवश्यकता है, ताकि उच्च उद्देश्य केवल न्यायपूर्ण और संवैधानिक साधनों से प्राप्त किए जा सकें।

2. परिवार और समाज की मूल्य प्रणाली किस प्रकार किसी व्यक्ति की नैतिक नींव को प्रभावित करती है? अपने अनुभवों से उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए।

नैतिकता (Ethics) मानव व्यवहार को दिशा देने वाले नैतिक सिद्धांतों को कहा जाता है। किसी व्यक्ति की नैतिक नींव उसके प्रारंभिक समाजीकरण में गहराई से निहित होती है, विशेष रूप से परिवार और समाज के माध्यम से। मूल्य पहले घर पर सीखे जाते हैं और सामाजिक मानदंडों द्वारा सुदृढ़ किए जाते हैं, जो जीवन भर चरित्र निर्माण और निर्णय लेने को आकार देते हैं।

व्यक्ति की नैतिक नींव पर पारिवारिक मूल्य प्रणाली का प्रभाव

1. **परिवार: पहला नैतिक विद्यालय**

   परिवार किसी बच्चे की पहली नैतिक पाठशाला होता है। मेरे माता-पिता ने हमेशा सत्यता और उत्तरदायित्व पर बल दिया। जब मैंने एक बार परीक्षा में कम अंक छुपाने की कोशिश की, तो उन्होंने शांति से ईमानदारी पर ज़ोर देते हुए मुझे यह समझाया कि परिणाम से अधिक महत्त्व सत्य का होता है।

2. **माता-पिता द्वारा अनुकरणीय व्यवहार**

   अवलोकन आधारित शिक्षा की भूमिका अहम होती है। मैंने अपने पिता को दुकान पर अतिरिक्त पैसे लौटाते हुए देखा, जबकि कोई देख भी नहीं रहा था। ऐसे रोज़मर्रा के उदाहरणों ने मेरे भीतर न्याय और ईमानदारी के मूल्यों को मजबूत किया, जो बाद में प्रशासनिक भूमिकाओं में उपयोगी सिद्ध हुए।

3. **घर में लैंगिक समानता और संवेदनशीलता**

   मेरी माँ एक कामकाजी महिला थीं, जिन्होंने परिवार और पेशे को संतुलित किया। उनके उदाहरण ने मुझे लैंगिक समानता के प्रति गहरा सम्मान दिया, जो आज मेरे समावेशी नेतृत्व और कार्यस्थल नैतिकता को आकार देता है।

4. **सहानुभूति और परोपकार की पारिवारिक परंपरा**

   हमारे परिवार में त्योहारों के दौरान अनाथालयों में दान देने और दौरा करने की परंपरा थी। इन करुणामय कृत्यों ने COVID-19 संकट के समय मेरे द्वारा राहत सामग्रियों के वितरण में सक्रिय स्वैच्छिक भागीदारी को प्रेरित किया।

5. **अनुशासन और जिम्मेदारी जैसे मूल मूल्य**

   मेरा बड़ा भाई प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाने से पहले घरेलू कार्यों में मदद करता था। उसकी निरंतरता ने मुझे भी एक अनुशासित दिनचर्या और मजबूत कार्य नैतिकता अपनाने के लिए प्रेरित किया, जिसने मुझे प्रतियोगी परीक्षाओं और फील्डवर्क में मदद की।

6. **बड़ों के प्रति सम्मान और विनम्रता**

   हमारे परिवार में बड़ों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेना एक परंपरा रही। इसने मेरे भीतर अनुभव का आदर और अहंकार से बचाव की नैतिक प्रवृत्ति विकसित की, जिसका उपयोग मैं वरिष्ठ सहकर्मियों और जमीनी स्तर के नेताओं के साथ काम करते समय करता हूँ।

7. **सहिष्णुता और निष्पक्ष दृष्टिकोण**

   मेरे पिता अक्सर कहते थे, "हर कोई अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहा है।" उनके इस कथन ने मुझे नैतिक कठोरता से बचने और दूसरों के आचरण को सहानुभूति के साथ देखने की प्रवृत्ति दी, विशेषकर पेशेवर या सार्वजनिक परिप्रेक्ष्य में।

8. **धैर्य और क्षमा की भावना**

   हमारे परिवार में मनमुटाव को बढ़ावा नहीं दिया जाता था। मतभेदों को शांति से सुलझाया जाता था। इससे मेरे भीतर प्रतिशोध के बजाय सुलह की प्रवृत्ति विकसित हुई, जो अब सहकर्मियों या नागरिकों के साथ मतभेदों को परामर्श के माध्यम से सुलझाने में परिलक्षित होती है।

व्यक्ति की नैतिक नींव पर समाज की मूल्य प्रणाली का प्रभाव

1. **सामाजिक मानदंड नैतिक व्यवहार को आकार देते हैं**

   गाँव में बड़े होते समय मैंने देखा कि बुजुर्ग सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फैलाने से मना करते थे, जिससे पर्यावरणीय नैतिकता सिखाई गई। आज मैं स्वच्छ भारत अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेता हूँ, क्योंकि नागरिक शिष्टता की यह भावना बचपन से विकसित हुई।

2. **सांस्कृतिक परंपराएँ सामूहिक नैतिकता को बढ़ावा देती हैं**

   हमारे कस्बे में दिवाली और ईद जैसे त्योहार मिलकर मनाए जाते थे, जिससे सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का विकास हुआ। यह बहुलतावादी परवरिश आज मेरे समावेशी नीति दृष्टिकोण और विविध टीम प्रबंधन में परिलक्षित होती है।

3. **सहपाठी प्रभाव और सामाजिक प्रतिष्ठा**

   छात्र जीवन में हमारे समूह शैक्षणिक ईमानदारी और आपसी सहायता को महत्त्व देते थे। नकल को सामाजिक रूप से निंदनीय माना जाता था। इस सामाजिक दबाव ने मेरे भीतर निष्पक्षता और योग्यता के प्रति प्रतिबद्धता विकसित की, जो अब निर्णय लेने की भूमिकाओं में आवश्यक है।

4. **सामुदायिक आदर्श और नैतिक प्रेरणा**

   हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य निष्पक्षता और अनुशासन के लिए प्रसिद्ध थे। उनके आचरण ने मुझे शिकायतों के निपटान और प्रतिस्पर्धी हितों के मूल्यांकन के समय तटस्थता और न्याय को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया।

5. **मीडिया और लोक संस्कृति के नैतिक कथानक**

   टीवी धारावाहिक और लोककथाओं में अच्छाई की जीत का स्पष्ट संदेश होता था। इन कथाओं ने मेरे नैतिक चिंतन को प्रारंभिक अवस्था में ही आकार दिया और आज भी मैं सामुदायिक संवाद में मूल्यों-आधारित संदेश देने में उनका उपयोग करता हूँ।

6. **धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षाएं**

   भगवद गीता और क़ुरान से प्राप्त शिक्षा ने मुझे निष्काम कर्म और पक्षपातरहित करुणा का पाठ पढ़ाया। ये दार्शनिक आधार नीति बनाम नैतिकता जैसी दुविधाओं में मेरा मार्गदर्शन करते हैं।

7. **पड़ोस की अपेक्षाएं और सामाजिक अनुशासन**

   हमारे मोहल्ले में समय की पाबंदी और विनम्रता की अपेक्षा होती थी। सामुदायिक प्रतिक्रिया नैतिक दिशा-सूचक की तरह कार्य करती थी। इस अनुभव ने मुझे सार्वजनिक छवि और जवाबदेही के महत्त्व के प्रति नैतिक रूप से सचेत बनाया।

8. **सामाजिक संस्थानों द्वारा सुदृढ़ संस्थागत मूल्य**

   स्कूल, पुलिस और पंचायत जैसे सार्वजनिक संस्थान न्याय और व्यवस्था जैसे सामाजिक मूल्यों को प्रतिबिंबित और सुदृढ़ करते हैं। चुनावों के दौरान इनकी भूमिका ने लोकतांत्रिक नैतिकता और प्रक्रियात्मक पवित्रता के प्रति मेरे मन में सम्मान उत्पन्न किया।

निष्कर्ष

किसी व्यक्ति की नैतिक नींव जन्मजात नहीं होती, बल्कि यह परिवार और समाज की मूल्य प्रणालियों द्वारा आकार ली जाती है। ये प्रारंभिक प्रभाव जीवन के सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में निर्णय लेने के नैतिक दिशा-निर्देशक बनते हैं। आगे का रास्ता मूल्य-आधारित शिक्षा, समुदाय की नैतिक चेतना, और नैतिक प्रशासनिक मॉडल को बढ़ावा देकर एक नैतिक रूप से जागरूक नागरिकता और उत्तरदायी शासन की ओर ले जाता है।

3. नैतिक द्वंद्व क्या होता है? सार्वजनिक सेवकों को अपने कार्यकाल के दौरान किस प्रकार के नैतिक द्वंद्वों का सामना करना पड़ता है? ऐसे द्वंद्वों के समाधान हेतु एक लोक सेवक कौन-कौन से प्रमुख दृष्टिकोण अपना सकता है, चर्चा कीजिए।

नैतिक दुविधा तब उत्पन्न होती है जब कोई व्यक्ति दो या अधिक परस्पर विरोधी नैतिक सिद्धांतों का सामना करता है और उसे उनके बीच चयन करना होता है, जहाँ कोई विकल्प पूरी तरह से सही या पूरी तरह से गलत नहीं होता। शासन व्यवस्था में, ऐसी दुविधाएं एक लोक सेवक की **ईमानदारी, निष्पक्षता, और संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता** की गंभीर परीक्षा लेती हैं, खासकर जटिल और उच्च जोखिम वाले परिदृश्यों में।

लोक सेवकों द्वारा सामना की जाने वाली सामान्य नैतिक दुविधाएं

1. **कानून और अंतरात्मा के बीच संघर्ष**

   एक सिविल सेवक को ऐसे मामलों का सामना करना पड़ सकता है जहाँ कानूनी प्रावधान नैतिक विवेक से टकराते हैं। उदाहरण के लिए, किसी योग्य व्यक्ति को उचित दस्तावेज़ न होने पर लाभ से वंचित करना कानूनी रूप से सही हो सकता है, पर नैतिक रूप से पीड़ादायक होता है, जो अधिकारी की संवेदनशीलता और करुणा की परीक्षा लेता है।

2. **उच्चाधिकारियों का दबाव बनाम जनहित**

अधिकारियों को राजनीतिक या नौकरशाही दबाव झेलना पड़ सकता है, जो स्वार्थी हितों के पक्ष में कार्य करने को कहे, भले ही उससे जनता का नुकसान हो। जैसे कि अवैध भूमि आवंटन को मंजूरी देने के लिए मजबूर किया जाना, जिसमें आज्ञाकारिता और नैतिकता के बीच चयन करना कठिन हो जाता है।

3. **पारदर्शिता बनाम गोपनीयता**

लोक सेवकों को सूचना के अधिकार और राज्य गोपनीयता या व्यक्तिगत निजता के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। ऐसी जानकारी उजागर करना जो नागरिकों के लिए उपयोगी हो पर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकती हो—यह निर्णय विवेक बनाम पारदर्शिता की दुविधा बन जाता है।

4. **व्हिसलब्लोइंग बनाम संगठनात्मक निष्ठा**

भ्रष्टाचार या कदाचार की रिपोर्टिंग करना टीम के प्रति निष्ठा या प्रतिशोध के डर से टकरा सकता है। जैसे अशोक खेमका ने अनियमितताओं को उजागर किया, जिससे संस्थागत नैतिकता बनाम व्यक्तिगत जोखिम की दुविधा स्पष्ट हुई।

5. **संसाधन आवंटन की दुविधाएं**

सीमित संसाधनों की स्थिति में अधिकारियों को लाभार्थियों का चयन करना पड़ता है, जैसे आपदा राहत या स्वास्थ्य सेवाओं में। यह तय करना कि पहले किसे सहायता दी जाए—बुजुर्ग, बच्चे, या गंभीर रूप से बीमार—यह न्याय, करुणा और उपयोगितावाद की नैतिक कसौटी पर खरा उतरने की चुनौती है।

6. **सेवा वितरण में समानता बनाम समता**

कभी-कभी सभी को समान रूप से लाभ देना असमान परिणाम देता है। जैसे कि स्कॉलरशिप सभी जिलों में बराबर बांटना, बजाय पिछड़े क्षेत्रों पर केंद्रित करने के—यह औपचारिक समानता और समता के बीच नैतिक द्वंद्व उत्पन्न करता है।

7. **व्यक्तिगत विश्वास बनाम पेशेवर कर्तव्य**

जब व्यक्तिगत विचार आधिकारिक जिम्मेदारी से टकराते हैं—जैसे अंतरधार्मिक विवाह या LGBTQ+ अधिकारों के मामलों में—तो सिविल सेवक को अपनी व्यक्तिगत पक्षपात को छोड़कर संवैधानिक नैतिकता का पालन करना चाहिए।

नैतिक दुविधाओं को सुलझाने के लिए लोक सेवक द्वारा अपनाई जा सकने वाली प्रमुख रणनीतियाँ

1. **संविधान को नैतिक दिशा-निर्देशक बनाना**

भारत का संविधान ही मार्गदर्शक होना चाहिए। न्याय, समानता, स्वतंत्रता और गरिमा जैसे सिद्धांत किसी भी व्यक्तिगत या राजनीतिक झुकाव से ऊपर होने चाहिए। सिविल सेवकों को संवैधानिक नैतिकता में निर्णय आधारित करने चाहिए जिससे नैतिक विचलन से बचा जा सके।

2. **नैतिक सिद्धांतों और ढांचों का प्रयोग**

कर्तव्य आधारित (डिओन्टोलॉजिकल) और परिणाम आधारित (यूटिलिटेरियन) नैतिक सिद्धांतों का प्रयोग दुविधाओं का तर्कसंगत विश्लेषण करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता चुनना कर्तव्य और सार्वजनिक हित दोनों के अनुरूप होता है, भले ही आलोचना झेलनी पड़े।

3. **'नैतिकता के चार स्तंभों' को अपनाना**

ईमानदारी, वस्तुनिष्ठता, जवाबदेही और पारदर्शिता—जो नोलेन समिति द्वारा सुझाए गए थे—इन स्तंभों को निर्णय फिल्टर के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इन स्तंभों को अपनाकर जटिल दुविधाओं को भी नैतिक स्पष्टता और जनता के विश्वास के साथ सुलझाया जा सकता है।

4. **कोड, नियमावली और पूर्व उदाहरणों का संदर्भ लेना**

कंडक्ट रूल्स, सीवीसी दिशानिर्देश, सिविल सर्विसेज आचरण नियमावली, और न्यायिक उदाहरणों का हवाला देना कानूनी रूप से सुरक्षित और नैतिक रूप से उचित मार्ग प्रदान करता है। ये निर्धारित मानक निर्णय प्रक्रिया में अस्पष्टता को कम करते हैं और प्रशासनिक वैधता सुनिश्चित करते हैं।

5. **वरिष्ठ मार्गदर्शकों या नैतिक समिति से सलाह लेना**

   अनुभवी और नैतिक वरिष्ठों या उपलब्ध नैतिक सलाह समितियों से परामर्श लेना संतुलित, पूर्व उदाहरणों पर आधारित सलाह प्रदान करता है, जिससे अधिकारी जल्दबाज़ी या अकेले निर्णय लेने से बच सकता है।

6. **सहानुभूति और हितधारकों के प्रति संवेदनशीलता का अभ्यास**

   सभी हितधारकों—विशेषकर हाशिए पर रहने वालों—के दृष्टिकोण को समझना नैतिक निर्णय को करुणा पर आधारित बनाता है। जैसे किसानों से परामर्श कर पानी की राशनिंग लागू करना अधिक न्यायसंगत और मानवीय समाधान देता है।

7. **निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना**

   कठिन निर्णयों के पीछे के तर्क को दस्तावेजीकृत करना और सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करना नैतिक जवाबदेही को बढ़ाता है। यह भविष्य में विवेक के दुरुपयोग को रोकता है और संस्थागत कार्यों में जनता के विश्वास को मजबूत करता है।

8. **नैतिक साहस और धैर्य का विकास करना**

   कई दुविधाएं ऐसे कार्यों की माँग करती हैं जिन्हें निभाने के लिए नैतिक साहस और व्यक्तिगत लागत सहने की तैयारी जरूरी होती है। जैसे दुर्गा शक्ति नागपाल ने अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई की और नैतिक प्रतिबद्धता की मिसाल पेश की।

निष्कर्ष

लोक सेवा में नैतिक दुविधाएं अपरिहार्य हैं, लेकिन वे **सुशासन और नैतिक नेतृत्व को स्थापित करने के अवसर** भी हैं। यदि लोक सेवक **संविधान, नैतिक तर्क और सहानुभूति-आधारित निर्णय प्रक्रिया** को अपनाएं, तो वे जटिल परिस्थितियों में भी **ईमानदारी, निष्पक्षता और सार्वजनिक जवाबदेही** के साथ कार्य कर सकते हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों के सच्चे संरक्षक बन सकते हैं।

4. रुझान और दृष्टिकोण में क्या अंतर है? सिविल सेवाओं के संदर्भ में इनकी प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिए।

योग्यता (Aptitude) उस जन्मजात या अर्जित क्षमता को कहते हैं जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए आवश्यक होती है, जैसे विश्लेषणात्मक, तर्कशील या समस्या-समाधान कौशल। दूसरी ओर, **दृष्टिकोण (Attitude)** लोगों, घटनाओं या जिम्मेदारियों की ओर मानसिक और भावनात्मक झुकाव को दर्शाता है। दोनों ही प्रशासनिक सेवाओं में प्रभावी और नैतिक कार्य निष्पादन के लिए अत्यंत आवश्यक गुण हैं।

योग्यता और दृष्टिकोण के बीच अंतर

पहलू	योग्यता (Aptitude)	दृष्टिकोण (Attitude)
परिभाषा	किसी कार्य को प्रभावी ढंग से करने की जन्मजात या अर्जित क्षमता।	व्यक्ति की सोच, विश्वास और लोगों, परिस्थितियों व नैतिकता के प्रति उसका व्यवहारिक दृष्टिकोण।
नैतिक प्रासंगिकता	दक्षता सुनिश्चित करता है, लेकिन नैतिक उपयोग की गारंटी नहीं देता।	नैतिक आचरण और निर्णय लेने का मार्गदर्शन करता है।
नैतिक उत्तरदायित्व	दक्ष व्यक्ति को अपनी विशेषज्ञता को नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप प्रयोग करना चाहिए।	सकारात्मक नैतिक दृष्टिकोण जिम्मेदार और न्यायसंगत कौशल प्रयोग को सुनिश्चित करता है।
न्याय और निष्पक्षता	शासन में कुशलता लाता है, परंतु हमेशा निष्पक्षता नहीं सुनिश्चित करता।	निर्णयों में निष्पक्षता, समावेशिता और न्याय को बढ़ावा देता है।
लोक सेवा और शासन	नौकरशाहों व प्रशासकों को नीति क्रियान्वयन हेतु योग्यता की आवश्यकता होती है।	नैतिक नेतृत्व सहानुभूति, ईमानदारी और जनसेवा भाव पर आधारित होता है।
ईमानदारी और सत्यनिष्ठा	उच्च योग्यता बिना ईमानदारी के भ्रष्टाचार या शक्ति के दुरुपयोग में बदल सकती है।	नैतिक दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि कौशल ईमानदारी व जवाबदेही के साथ प्रयोग हो।
व्यावसायिक नैतिकता	डॉक्टर, वकील या सिविल सेवक यदि नैतिक दृष्टिकोण नहीं रखते तो अपने पेशे का दुरुपयोग कर सकते हैं।	मजबूत नैतिक दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि व्यावसायिक कौशल समाज के हित में प्रयोग हो।

पहलू	योग्यता (Aptitude)	दृष्टिकोण (Attitude)
नैतिक द्वंद्व	एक सक्षम परंतु अनैतिक व्यक्ति निजी लाभ के लिए तंत्र का दुरुपयोग कर सकता है।	एक नैतिक लेकिन कम सक्षम व्यक्ति निष्पादन में कठिनाई पा सकता है, फिर भी नैतिक मूल्यों को बनाए रखेगा।
नैतिक निर्णय लेने में भूमिका	तार्किक समस्या-समाधान में सहायक, परंतु नैतिक विकल्प की गारंटी नहीं देता।	व्यक्तियों को नैतिक रूप से उचित निर्णय लेने में मार्गदर्शन करता है, विशेषकर कठिन परिस्थितियों में।
नैतिक उपयोग का उदाहरण	एक कुशल इंजीनियर को लागत घटाने के लिए निर्माण गुणवत्ता से समझौता नहीं करना चाहिए।	सेवा-प्रधान दृष्टिकोण वाला एक नौकरशाह पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा।
आदर्श दृष्टिकोण	जिम्मेदार शासन और नेतृत्व के लिए योग्यता को नैतिक मूल्यों से जोड़ा जाना चाहिए।	एक मजबूत नैतिक दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि योग्यता का उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए हो।

सिविल सेवाओं के संदर्भ में योग्यता और दृष्टिकोण की प्रासंगिकता

1. **नीति कार्यान्वयन की प्रभावशीलता**

   उच्च प्रशासनिक योग्यता से अधिकारी जटिल शासन कार्यों को संभाल सकते हैं, जैसे बजट, आपदा प्रबंधन या ई-गवर्नेंस। एक सकारात्मक दृष्टिकोण नागरिक-केंद्रित, समावेशी और सहानुभूतिपूर्ण सेवा वितरण सुनिश्चित करता है।

2. **नैतिक अखंडता बनाए रखना**

   किसी सिविल सेवक का ईमानदारी, निष्पक्षता, और न्याय के प्रति दृष्टिकोण यह तय करता है कि वह रिश्वत, भाई-भतीजावाद, या दबाव का कैसे सामना करता है। यदि दृष्टिकोण मूल्य-आधारित न हो, तो एक बुद्धिमान अधिकारी भी नैतिक मानकों से समझौता कर सकता है।

3. **संकट प्रबंधन और नेतृत्व**

   संकट जैसे महामारी या दंगों के समय रणनीतिक सोच और त्वरित निर्णय के लिए योग्यता आवश्यक होती है। दृष्टिकोण से शांति, धैर्य और भावनात्मक परिपक्वता आती है, जो भयभीत नागरिकों या निरुत्साहित कर्मचारियों के साथ काम करने के लिए आवश्यक होती है।

4. **जन शिकायत निवारण**

   योग्यता कुशल शिकायत निवारण प्रणाली डिज़ाइन करने में मदद करती है। दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि हर शिकायत को गरिमा और धैर्य के साथ निपटाया जाए, विशेष रूप से अशिक्षित या संकटग्रस्त नागरिकों के मामले में। दोनों मिलकर प्रशासनिक न्याय को बनाए रखते हैं।

5. **टीम निर्माण और कार्यस्थल समरसता**

   अधिकारियों को विविध टीमों के साथ काम करना होता है। योग्यता कार्यों के वितरण और निगरानी में सहायता करती है, जबकि दृष्टिकोण समावेशिता, प्रेरणा और समरसता को प्रभावित करता है, जिससे दीर्घकालिक उत्पादकता और संस्थागत विश्वास बना रहता है।

6. **निष्पक्ष और तटस्थ निर्णय-निर्माण**

   एक अधिकारी सक्षम (योग्यता) हो सकता है, लेकिन यदि वह पक्षपाती या कठोर दृष्टिकोण रखता है, तो न्याय प्रभावित हो सकता है। उदाहरण के लिए, भूमि अधिग्रहण में योग्यता कानूनी अनुपालन में मदद करती है, लेकिन दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि विस्थापित परिवारों के प्रति संवेदनशीलता बनी रहे।

7. **विकास और समानता में संतुलन**

   योग्यता परियोजनाओं के लागत-लाभ विश्लेषण में मदद करती है, लेकिन दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि वंचित समुदायों का कल्याण प्राथमिकता में रहे। एक करुणामयी दृष्टिकोण वाली नीति अधिक मानवीय हो जाती है।

8. **नागरिक विश्वास और सेवा अभिविन्यास**

योग्यता संस्थागत दक्षता बनाती है, लेकिन दृष्टिकोण नागरिकों का विश्वास अर्जित करता है। एक विनम्र, सहानुभूतिपूर्ण अधिकारी अधिक नागरिक सहयोग और सामाजिक पूँजी विकसित करता है, जिससे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बेहतर परिणाम मिलते हैं।

योग्यता और दृष्टिकोण दोनों ही सिविल सेवा दक्षता के अनिवार्य स्तंभ हैं। जहाँ योग्यता कुशल और परिणामोन्मुख शासन सुनिश्चित करती है, वहीं दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि वह न्यायपूर्ण, समावेशी और नागरिक-केंद्रित हो। अतः प्रशिक्षण, नैतिक संवेदनशीलता और आत्म-जागरूकता के माध्यम से इन दोनों का पोषण करना आवश्यक है, जिससे एक **नैतिक रूप से सजग और प्रशासनिक रूप से सक्षम सार्वजनिक सेवा** तैयार हो सके।

5. भावनात्मक बुद्धिमत्ता को परिभाषित कीजिए तथा जन शिकायतों के समाधान में इसकी महत्ता को रेखांकित कीजिए।

भावनात्मक बुद्धिमत्ता (Emotional Intelligence - EI) का तात्पर्य अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानने, समझने, प्रबंधित करने और नियंत्रित करने की क्षमता से है। डेनियल गोलेमैन द्वारा गढ़ा और लोकप्रिय बनाया गया यह विचार प्रशासन में विशेष रूप से तब महत्त्वपूर्ण हो जाता है जब सिविल सेवक जन शिकायतों, संघर्ष समाधान और भावनात्मक रूप से संवेदनशील परिस्थितियों से निपटते हैं।

भावनात्मक बुद्धिमत्ता और इसके मुख्य घटक (डेनियल गोलेमैन)

1. **स्वयं की जागरूकता (Self-Awareness)**

इसका अर्थ है अपनी भावनाओं, ट्रिगर्स और सीमाओं को पहचानना। उदाहरण के लिए, एक सिविल सेवक जो अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से अवगत होता है, वह सार्वजनिक आलोचना पर जल्दबाज़ी में प्रतिक्रिया देने के बजाय परिपक्वता और शांत भाव से प्रतिक्रिया देगा।

2. **स्वयं का नियंत्रण (Self-Regulation)**

इसका तात्पर्य है भावनाओं को रचनात्मक रूप से नियंत्रित करना, विशेष रूप से दबाव की स्थितियों में। उच्च तनाव वाले पदों पर अधिकारी को गुस्से या निराशा को नियंत्रित करना होता है, जैसे सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन के दौरान, जिससे उनके कार्य पेशेवर और संतुलित बने रहते हैं।

3. **प्रेरणा (Motivation)**

भावनात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति केवल बाहरी पुरस्कारों से नहीं, बल्कि मूल्यों और उद्देश्य से प्रेरित होते हैं। एक प्रेरित सिविल सेवक प्रतिकूल तैनाती या संसाधनों की कमी के बावजूद सार्वजनिक सेवा के प्रति प्रतिबद्ध रहेगा।

4. **सहानुभूति (Empathy)**

सहानुभूति सिविल सेवकों को नागरिकों, विशेष रूप से हाशिए पर मौजूद समूहों की भावनाओं और कठिनाइयों को समझने की क्षमता देती है। उदाहरण के लिए, एक सहानुभूति रखने वाला अधिकारी बाढ़ राहत के दौरान सक्रिय रूप से सुनेगा और मानवीय आवश्यकता के आधार पर संसाधन आवंटित करेगा।

5. **सामाजिक कौशल (Social Skills)**

इसमें संप्रेषण, संघर्ष प्रबंधन और संबंध निर्माण शामिल है। अच्छे सामाजिक कौशल वाले अधिकारी विश्वास बना पाते हैं, आलोचना को गरिमा के साथ झेलते हैं और विभागों व नागरिकों के बीच सहयोग सुनिश्चित करते हैं।

जन शिकायतों के निपटान में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का महत्त्व

1. **नागरिक विश्वास और संतुष्टि में वृद्धि**

उच्च EI वाले अधिकारी धैर्य और सहानुभूति के साथ शिकायतों का उत्तर देते हैं, जिससे नागरिकों को सुने और सम्मानित होने का अनुभव होता है। इससे संस्थागत विश्वसनीयता बढ़ती है, भले ही समाधान उनकी अपेक्षा के अनुरूप न हो।

2. **संघर्ष की तीव्रता में कमी लाता है**

भावनात्मक रूप से बुद्धिमान शिकायत निवारण संघर्ष को विरोध या हिंसा में बदलने से रोक सकता है। उदाहरण के लिए, आंदोलन कर रहे किसानों से शांति से बात करना तनाव को कम कर सकता है और संवाद के रास्ते खोलता है।

3. **समावेशी और संवेदनशील शासन को बढ़ावा देता है**

   EI अधिकारियों को शिकायत निवारण के दौरान SC/ST, अल्पसंख्यकों या दिव्यांग नागरिकों की विशिष्ट चुनौतियों को पहचानने में मदद करता है, जिससे लक्षित समाधान और सम्मानजनक सेवा वितरण सुनिश्चित होता है।

4. **संचार की गुणवत्ता में सुधार करता है**

   जन शिकायतों में अक्सर गलतफहमी या संचार की कमी होती है। एक भावनात्मक रूप से बुद्धिमान अधिकारी ध्यानपूर्वक सुनता है, सरल भाषा में बात करता है और नीतियों को स्पष्टता से समझाता है, जिससे नागरिकों की समझ और जुड़ाव बेहतर होता है।

5. **न्यायपूर्ण और निष्पक्ष निर्णय लेने में सहायक**

   भावनाओं और तर्क के संतुलन से EI सुनिश्चित करता है कि निर्णय सहानुभूतिपूर्ण लेकिन वैधानिक हों। उदाहरण के लिए, वृद्ध नागरिकों की पेंशन विवाद का समाधान नियमों का पालन करते हुए लेकिन चिंता के आधार पर प्राथमिकता देना।

6. **कर्मचारी मनोबल और टीम प्रबंधन में सुधार**

   जन शिकायतों का निपटान एक टीम प्रयास है। EI अधिकारियों को अधीनस्थों का मनोबल बनाए रखने, भावनात्मक थकावट से निपटने और फ्रंटलाइन कर्मियों को नागरिकों से विनम्रता और प्रभावी ढंग से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है।

7. **लगातार टकराव में भी मानसिक लचीलापन बनाए रखना**

   सार्वजनिक सेवक अक्सर बार-बार शिकायतें, गुस्सा और आलोचना झेलते हैं। EI भावनात्मक लचीलापन सुनिश्चित करता है, जिससे अधिकारी हर शिकायत को ताजगी, शांत भाव और निरंतर प्रेरणा के साथ संभाल सकें और नकारात्मकता से बचें।

8. **भागीदारीपूर्ण और उत्तरदायी प्रशासन को प्रोत्साहित करता है**

   EI सिविल सेवकों को नागरिकों के साथ संवाद और सहयोगी समस्या समाधान में संलग्न करता है। यह शिकायत निवारण को एक लेन-देन क्रिया से बदलकर एक भागीदारीपूर्ण, विश्वास निर्माण प्रक्रिया बना देता है।

भावनात्मक बुद्धिमत्ता नैतिक और प्रभावी सार्वजनिक सेवा की मूल दक्षता है। यह सिविल सेवकों के जन शिकायतों के प्रति दृष्टिकोण को यांत्रिक उत्तरों से आगे ले जाकर सहानुभूतिपूर्ण, नागरिक-केंद्रित जुड़ाव में बदल देती है। EI, संचार और तनाव प्रबंधन में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सार्वजनिक प्रशासन के सभी स्तरों पर संस्थागत रूप से लागू किया जाना चाहिए।

6. "शासन में शुचिता लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व की आधारशिला है।" चर्चा कीजिए।

शासन में नैतिकता (Probity) का अर्थ है सार्वजनिक प्रशासन में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और नैतिक आचरण। यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय सार्वजनिक हित में लिए जाएँ, भ्रष्टाचार और पक्षपात से मुक्त हों। एक लोकतंत्र में, जहाँ नागरिक सर्वोच्च होते हैं, नैतिकता जवाबदेही, पारदर्शिता और राज्य तथा नागरिकों के बीच विश्वास के लिए आवश्यक होती है।

शासन में नैतिकता लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व का मूल आधार है

1. **सार्वजनिक कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है**

   नैतिकता यह आवश्यक बनाती है कि सार्वजनिक सेवक निर्णयों का खुलासा करें, अभिलेख बनाए रखें, और प्रक्रियाओं का पालन करें। यह खुलापन पारदर्शिता को बढ़ाता है, जिससे नागरिक और संस्थाएँ कार्यों की जाँच कर सकें और औचित्य की माँग कर सकें, जो लोकतांत्रिक जवाबदेही का मूल तत्व है।

2. **सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है**

   नैतिकता वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता सुनिश्चित कर विवेकपूर्ण दुरुपयोग को सीमित करती है। उदाहरण के लिए, यदि निविदाएँ योग्यता के आधार पर दी जाएँ न कि प्रभाव के आधार पर, तो यह विधिशासन को बढ़ावा देती है और कार्यपालिका को नैतिक मानकों के प्रति उत्तरदायी बनाती है।

3. **संस्थाओं में सार्वजनिक विश्वास का निर्माण करता है**

   एक पारदर्शी और नैतिक सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं में नागरिकों का विश्वास बढ़ाती है। जब नागरिक यह विश्वास करते हैं कि अधिकारी सद्भावनापूर्वक और निजी लाभ के बिना कार्य कर रहे हैं, तो वे शासन में अधिक सक्रियता से भाग लेते हैं।

4. **कानूनी और संस्थागत जवाबदेही को मजबूत करता है**

   नैतिकता संविधान के मूल्यों और प्रशासनिक नियमों के पालन को सुदृढ़ करती है। कैग (CAG), लोकपाल और सीवीसी जैसी संस्थाएँ सार्वजनिक अधिकारियों में सत्यनिष्ठा की संस्कृति पर निर्भर होती हैं ताकि वे प्रभावी रूप से जाँच कर सकें और जवाबदेही सुनिश्चित कर सकें।

5. **नागरिक शिकायतों के प्रति उत्तरदायित्व को बढ़ावा देता है**

   नैतिक शासन सुनिश्चित करता है कि शिकायतों को पक्षपात और विलंब के बिना निपटाया जाए। उदाहरण के लिए, यदि कोई जिलाधिकारी राशन से संबंधित शिकायतों को निष्पक्ष रूप से सुलझाता है, तो यह दर्शाता है कि नैतिकता नागरिक-केंद्रित शासन को सक्षम बनाती है।

6. **भ्रष्टाचार और पक्षपात को कम करता है**

   नैतिकता भाई-भतीजावाद, रिश्वत और गबन के विरुद्ध एक नैतिक और संस्थागत रोक के रूप में कार्य करती है। सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) और ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म दर्शाते हैं कि कैसे नैतिकता के तंत्र नागरिकों को कदाचार पर प्रश्न उठाने में सशक्त बनाते हैं।

7. **सार्वजनिक विश्वास के सिद्धांत की पूर्ति करता है**

   सार्वजनिक कार्यालय नागरिकों द्वारा सौंपा गया एक विश्वास होता है। नैतिकता यह सुनिश्चित करती है कि इस विश्वास का उल्लंघन न हो। जो अधिकारी सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करते हैं, वे राज्य और नागरिक के बीच की फिद्युशरी (fiduciary) संबंध को कायम रखते हैं, जो लोकतांत्रिक भावना का केंद्र है।

8. **विधानमंडल की निगरानी को सक्षम बनाता है**

   नैतिकता यह सुनिश्चित करती है कि संसदीय समितियों और लेखा परीक्षकों को सही रिपोर्टिंग मिले, जिससे कार्यपालिका के कार्यों की प्रभावी विधायी जाँच हो सके और प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र वास्तविक रूप से उत्तरदायी बने।

शासन में नैतिकता आवश्यक क्यों है

1. **संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करता है**

   नैतिकता सार्वजनिक सेवा को संवैधानिक नैतिकता, धर्मनिरपेक्षता और समानता से जोड़ती है। यह सुनिश्चित करता है कि शासन मनमाना नहीं हो, बल्कि निष्पक्षता और न्याय की भावना से निर्देशित हो, न कि व्यक्तिगत या राजनीतिक लाभ से।

2. **सेवा वितरण की दक्षता में सुधार करता है**

   नैतिक अधिकारी योजनाओं जैसे मनरेगा (MNREGA) या प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) में लालफीताशाही और रिसाव को कम करते हैं, जिससे लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक समय पर और निष्पक्ष रूप से पहुँचते हैं—यह प्रशासन में नैतिक दक्षता को दर्शाता है।

3. **आर्थिक वृद्धि और विदेशी निवेश को बढ़ावा देता है**

   जिन सरकारों की ईमानदारी की छवि होती है, वे अधिक निवेश और नवाचार आकर्षित करती हैं। उदाहरण के लिए, सिंगापुर का शासन मॉडल दर्शाता है कि उच्च नैतिकता जोखिम धारणा को कम करती है और आर्थिक आत्मविश्वास को बढ़ाती है।

4. **समावेशिता और समानता को बढ़ावा देता है**

   नैतिकता यह सुनिश्चित करती है कि संसाधनों का वितरण जाति, धर्म या राजनीतिक संबद्धता से परे हो। जो अधिकारी नैतिकता का पालन करते हैं, वे हाशिए पर खड़े समूहों के अधिकारों की रक्षा करते हैं और सामाजिक न्याय को साकार करते हैं।

5. **नैतिक नेतृत्व और अनुकरणीय व्यवहार को प्रोत्साहित करता है**

   जब सार्वजनिक सेवक नैतिकता से कार्य करते हैं, तो वे दूसरों—सहकर्मियों और नागरिकों दोनों—को प्रेरित करते हैं। टी.एन. शेषन और ई. श्रीधरन जैसे नेता अपनी सत्यनिष्ठा के लिए याद किए जाते हैं, जिन्होंने संस्थागत संस्कृति को बदल दिया।

6. **मुकदमों और प्रशासनिक भार को कम करता है**

   जो निर्णय निष्पक्षता और वैधता पर आधारित होते हैं, वे कम विवादित होते हैं। नैतिकता प्रक्रिया-आधारित न्याय सुनिश्चित करती है, जिससे जनहित याचिकाएँ (PIL) कम होती हैं और प्रशासनिक समय तथा संसाधन की बचत होती है।

7. **अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता को मजबूत करता है**

शासन में नैतिकता वैश्विक रैंकिंग में सुधार करती है—जैसे भ्रष्टाचार, व्यवसाय करने में आसानी और लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली। यह भारत की सॉफ्ट पावर और कूटनीतिक प्रभाव को वैश्विक मंच पर बढ़ाती है।

नैतिकता केवल एक गुण नहीं, बल्कि लोकतंत्र की नैतिक संरचना है। यह नागरिकों के विश्वास, संस्थागत सत्यनिष्ठा और उत्तरदायी शासन की गारंटी देती है। मूल्य-आधारित प्रशिक्षण, मजबूत कानूनी सुरक्षा और संस्थागत नैतिकता लेखा परीक्षाएं यह सुनिश्चित करेंगी कि लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व सार्वजनिक जीवन में निष्कलंक ईमानदारी के माध्यम से कायम रहे।

7. अंतर स्पष्ट कीजिए –

a. नैतिक दृष्टिकोण और राजनीतिक दृष्टिकोण

b. सामाजिक प्रभाव और प्रेरणा

रवैये (Attitudes) वे सीखी गई प्रवृत्तियाँ होती हैं जो व्यक्तियों, मुद्दों या संस्थाओं के प्रति हमारी प्रतिक्रियाओं को आकार देती हैं। **नैतिक रवैया (Moral Attitude)** किसी व्यक्ति के नैतिक और मूल्य-आधारित निर्णयों पर आधारित होता है, जबकि **राजनीतिक रवैया (Political Attitude)** राजनीतिक विचारधाराओं और संस्थाओं के प्रति किसी के दृष्टिकोण को दर्शाता है। इसी तरह, **सामाजिक प्रभाव (Social Influence)** और **प्रभावित करना (Persuasion)** दोनों व्यवहार को बदलने की प्रक्रियाएँ हैं, परंतु उनके तंत्र और उद्देश्य अलग-अलग होते हैं।

(a) नैतिक दृष्टिकोण और राजनीतिक दृष्टिकोण

पहलू	नैतिक दृष्टिकोण	राजनीतिक दृष्टिकोण
परिभाषा	यह सही और गलत के प्रति व्यक्ति की सोच को दर्शाता है, जो नैतिकता और मूल्यों पर आधारित होती है।	यह राजनीतिक विचारधाराओं, दलों, शासन प्रणाली और नागरिक मुद्दों पर व्यक्ति की मान्यताओं को दर्शाता है।
गठन का आधार	परिवार के मूल्य, धर्म, दर्शन और अंत:करण के माध्यम से निर्मित होता है।	शिक्षा, मीडिया, राजनीतिक सामाजिककरण और पार्टी संबद्धता के माध्यम से निर्मित होता है।
मूल्यांकन की प्रकृति	कार्यों का मूल्यांकन नैतिकता, न्याय और निष्पक्षता के आधार पर करता है।	राजनीतिक कार्यों या विचारधाराओं का मूल्यांकन प्रभावशीलता, प्रतिनिधित्व और व्यक्तिगत विश्वासों के आधार पर करता है।
व्यवहार पर प्रभाव	यह निर्णयों में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और न्याय को मार्गदर्शन करता है, व्यक्तिगत जीवन में भी।	यह मतदान व्यवहार, विरोध प्रदर्शन में भागीदारी, या नीतियों और राष्ट्रीय मुद्दों पर राय को प्रभावित करता है।
परिस्थितियों में स्थिरता	अधिक स्थिर और निरंतर होता है, क्योंकि यह मूल विश्वासों और मूल्यों में निहित होता है।	अधिक लचीला होता है, जो राजनीतिक आख्यानों या जन भावना में परिवर्तन के साथ बदल सकता है।
शासन में प्रासंगिकता	यह सिविल सेवकों को निर्णय लेने में तटस्थता, निष्पक्षता और नैतिक सत्यनिष्ठा बनाए रखने में मदद करता है।	यह सार्वजनिक सेवकों की गैर-पक्षपातिता बनाए रखने और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने की क्षमता को प्रभावित करता है।
उदाहरण	किसी पीड़ित के लिए न्याय को बनाए रखना, भले ही आरोपी प्रभावशाली व्यक्ति हो।	चुनावों या नीति बहसों में किसी विशेष राजनीतिक विचारधारा या नेता का समर्थन करना।

(b) सामाजिक प्रभाव और प्रभावित करने की प्रक्रिया में अंतर

पहलू	सामाजिक प्रभाव	प्रभावित करना
परिभाषा	समूह मानदंडों, साथियों के दबाव या प्राधिकरण के कारण व्यवहार या विश्वास में बदलाव।	तर्कसंगत या भावनात्मक अपील के माध्यम से विश्वासों या व्यवहार को जानबूझकर बदलने की प्रक्रिया।
प्रक्रिया की प्रकृति	प्राय: अप्रत्यक्ष और अवचेतन, स्वीकृति या अनुरूपता की आवश्यकता से प्रेरित।	प्राय: प्रत्यक्ष और जानबूझकर, जिसमें तर्क या भावना के माध्यम से अपील की जाती है।

पहलू	सामाजिक प्रभाव	प्रभावित करना
प्रभाव का स्रोत	समूह गतिशीलता, प्राधिकरण व्यक्तियों या सामाजिक भूमिकाओं से आता है।	वक्ताओं, नेताओं या मीडिया से आता है जो किसी के दृष्टिकोण को बदलने की कोशिश करते हैं।
स्वैच्छिकता	दबाव के कारण बिना वास्तविक विश्वास के अनुपालन हो सकता है।	यदि प्रभावी और तर्कसंगत हो, तो आंतरिक परिवर्तन की अधिक संभावना होती है।
परिवर्तन की स्थायित्व	परिवर्तन अस्थायी हो सकता है, केवल निगरानी के दौरान बना रहता है।	यदि सफल हो, तो अधिक स्थायी और गहन दृष्टिकोण परिवर्तन होता है।
लोक प्रशासन में भूमिका	यह समझाता है कि नागरिक कैसे समूह व्यवहार के अनुसार नियमों का पालन करते हैं (जैसे स्वच्छ भारत अभियान में)।	यह ऐसी सार्वजनिक अभियानों को आकार देने में मदद करता है जैसे 'बेटी बचाओ' या टीकाकरण जागरूकता।
उदाहरण	हेलमेट पहनना क्योंकि समाज में सभी ऐसा करते हैं।	एक भावनात्मक और तर्कसंगत तंबाकू विरोधी विज्ञापन देखने के बाद धूम्रपान छोड़ देना।

निष्कर्षत:, इन भेदों को समझना सिविल सेवकों के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह उन्हें नैतिक तटस्थता बनाए रखने, साक्ष्य-आधारित नीतिगत निर्णय लेने, और प्रभावी व्यवहार परिवर्तन अभियानों को डिजाइन करने में सहायता करता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, नैतिक तर्क और नैतिक संवेदनशीलता को विकसित करना शासन परिणामों को लोकतांत्रिक मूल्यों में निहित बनाता है।

8. "भ्रष्टाचार केवल एक कानूनी विफलता नहीं, बल्कि एक नैतिक पतन है।" विवेचना कीजिए।

भ्रष्टाचार (Corruption) उस स्थिति को कहा जाता है जब कोई व्यक्ति अपने सौंपे गए अधिकार का दुरुपयोग निजी लाभ के लिए करता है। हालाँकि इसे प्रायः कानूनी तंत्रों द्वारा नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है, लेकिन इसका लगातार बने रहना यह दर्शाता है कि समाज में नैतिक मूल्यों और सार्वजनिक आचरण की गहरी गिरावट हो चुकी है। कानून निरोधक हो सकते हैं, परंतु जब तक उन्हें मजबूत नैतिक आधार नहीं मिलता, तब तक वे समाज या सार्वजनिक संस्थाओं से भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं कर सकते।

भ्रष्टाचार एक कानूनी विफलता कैसे है:

1. **कमज़ोर प्रवर्तन और न्याय में देरी**

   भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे कानून मौजूद हैं, फिर भी उनका क्रियान्वयन कमज़ोर है। मुकदमों में देरी, कम सजा दरें, और राजनीतिक जाँच प्रक्रियाएँ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती हैं, जो यह दर्शाता है कि यह केवल कानून की कमी नहीं बल्कि प्रवर्तन तंत्र की विफलता है।

2. **कानूनों में झोल और अस्पष्टता**

   कई कानून अस्पष्ट शब्दों या व्याख्या योग्य प्रावधानों के कारण कमज़ोर हैं। जैसे "अनुचित प्रभाव" या "क्विड प्रो क्वो" जैसे शब्दों की अस्पष्टता अभियोजन को कठिन बनाती है और कानूनी ढाँचे की तकनीकी सीमाओं को उजागर करती है।

3. **संस्थागत स्वायत्तता की कमी**

   लोकपाल या राज्य सतर्कता आयोग जैसे संस्थान स्वतंत्रता या पर्याप्त अधिकारों से वंचित हैं। जब संस्थान राजनीतिक या नौकरशाही दबाव में होते हैं, तब कानून केवल औपचारिक औजार बनकर रह जाते हैं।

4. **कानूनी निवारक उपायों की सीमित परिधि**

   भ्रष्टाचार अक्सर अप्रत्यक्ष या गैर-धनात्मक रूप लेता है—जैसे भाई-भतीजावाद, पक्षपात, या जानबूझकर निष्क्रियता—जो सीधे कानून की सीमा में नहीं आते। इससे यह स्पष्ट होता है कि केवल कानूनी साधनों से सारे अनैतिक व्यवहार नियंत्रित नहीं किए जा सकते।

5. **दंडात्मक उपायों पर अत्यधिक निर्भरता**

   केवल दंड देने पर आधारित दृष्टिकोण मूल कारणों जैसे लालच, पारदर्शिता की कमी, या नैतिक गिरावट को संबोधित नहीं करता। यह प्रणाली केवल प्रतिक्रिया देती है, परिवर्तन नहीं लाती।

6. **व्हिसल ब्लोअर संरक्षण की विफलता**

व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम जैसे प्रावधानों के बावजूद, सूचनाकर्ताओं को अक्सर प्रताड़ित किया जाता है, उनका तबादला किया जाता है या जान को ख़तरा होता है। यह नैतिक खुलासों को हतोत्साहित करता है, जो प्रवर्तन और समर्थन प्रणाली की विफलता को दर्शाता है।

भ्रष्टाचार एक नैतिक पतन है:

1. **सार्वजनिक सेवा में नैतिक अंत:करण का ह्रास**

जब सार्वजनिक अधिकारी रिश्वत को 'पद की सुविधा' मानते हैं, तो यह नैतिक शून्यता को दर्शाता है। कॉमनवेल्थ खेल घोटाला इसका उदाहरण है, जिसमें राष्ट्रीय गर्व तक को निजी लाभ के लिए दांव पर लगा दिया गया।

2. **अनैतिक व्यवहार का सामान्यीकरण**

कई स्थानों पर भ्रष्टाचार को "सामान्य" या "आवश्यक" माना जाता है। यह सामान्यीकरण सामूहिक नैतिक विफलता को दर्शाता है, जहाँ गलत को सामाजिक रूप से अस्वीकार नहीं किया जाता, बल्कि स्वीकार कर लिया जाता है।

3. **सार्वजनिक हित के ऊपर निजी स्वार्थ की प्राथमिकता**

जब निर्णय निजी लाभ के लिए सार्वजनिक भलाई को नजरअंदाज करके लिए जाते हैं, तो यह नैतिक पतन का संकेत है। उदाहरण के लिए, बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में घटिया निर्माण की अनुमति देना केवल अक्षमता नहीं, बल्कि सहानुभूति और नागरिक जिम्मेदारी की कमी है।

4. **नेतृत्व में नैतिक सड़न**

जब भ्रष्ट नेता फिर से चुने जाते हैं या उन्हें महिमामंडित किया जाता है, तो यह समाज की अनैतिकता को दर्शाता है। यह लोकतांत्रिक मूल्यों को कमज़ोर करता है और अगली पीढ़ी के अधिकारियों के लिए गलत उदाहरण पेश करता है।

5. **संस्थानों की नैतिक अखंडता का क्षय**

जब आंतरिक नियंत्रणों को जानबूझकर नजरअंदाज किया जाता है, तो संस्थान भी नैतिक रूप से खोखले हो जाते हैं। पंजाब भर्ती घोटाला दर्शाता है कि कैसे पूरे सिस्टम में योग्यता को धन और पक्षपात से प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

6. **नागरिकों द्वारा सुविधा के लिए नैतिकता से समझौता**

जब आम नागरिक नियमों को नजरअंदाज करने के लिए स्वेच्छा से रिश्वत देते हैं, तो यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि साझा नैतिक क्षय को दर्शाता है। यह सामूहिक नैतिक गिरावट होती है, जिसे केवल ऊपर से नीचे की व्यवस्था से नियंत्रित करना कठिन हो जाता है।

7. **नैतिक आवाज़ों का दमन**

जब सत्येंद्र दुबे जैसे ईमानदार अधिकारियों को सज़ा दी जाती है या उनकी हत्या कर दी जाती है, और अन्य लोग डर के मारे चुप रहते हैं, तो यह केवल कानूनी संरक्षण की विफलता नहीं, बल्कि गहरे नैतिक क्षरण को दर्शाता है।

8. **नागरिक नैतिकता से सांस्कृतिक विच्छेदन**

जब सार्वजनिक संपत्तियों का दुरुपयोग, कर चोरी, या पर्यावरण नियमों का उल्लंघन सामान्य हो जाता है, तो यह दिखाता है कि नागरिक जिम्मेदारी अब मूल्यहीन हो गई है। यह आचरण अज्ञानता से नहीं, बल्कि नैतिक उदासीनता से उत्पन्न होते हैं।

निष्कर्षत:, जबकि कानूनी उपकरण आवश्यक हैं, भ्रष्टाचार की जड़ें नैतिकता और नैतिक जिम्मेदारी के टूटने में निहित हैं। इसलिए आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है—**मूल्य-आधारित शिक्षा का निर्माण, नैतिक उदाहरण द्वारा नेतृत्व, सार्वजनिक जागरूकता**, और **संस्थागत नैतिक लेखा-परीक्षा**। तभी जाकर कानून को नैतिक प्रतिबद्धता के साथ मिलाकर हम शासन प्रणाली से भ्रष्टाचार को वास्तव में समाप्त कर सकते हैं।

9. "नेता वह होता है जो रास्ता जानता है, रास्ते पर चलता है और दूसरों को रास्ता दिखाता है।" – जॉन सी. मैक्सवेल।

इस कथन के नैतिक और प्रशासनिक निहितार्थों की चर्चा कीजिए।

नेतृत्व (Leadership) केवल अधिकार या सत्ता का नाम नहीं है, बल्कि यह दृष्टि, कार्य और मार्गदर्शन का समुच्चय है। **जॉन सी. मैक्सवेल** का उद्धरण परिवर्तनकारी नेतृत्व की व्याख्या करता है, जिसमें एक नेता न केवल यह समझता है कि क्या करना है ("मार्ग जानता है"), बल्कि स्वयं पहल करता है ("मार्ग पर चलता है") और दूसरों को भी प्रेरित करता है ("मार्ग दिखाता है")—यह सब वह नैतिक आचरण और उदाहरण के माध्यम से करता है।

दृष्टि और विवेक (Vision and Wisdom)

1. एक सच्चे नेता के पास स्पष्ट दृष्टिकोण और रणनीतिक दूरदृष्टि होती है। वह लक्ष्यों को प्राप्त करने में समाहित व्यापक परिप्रेक्ष्य और सूक्ष्मताओं को समझता है। उदाहरण के लिए, डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का "इंडिया 2020" दृष्टिकोण गहन ज्ञान और भविष्यवादी सोच से उपजा था।
2. जो नेता "मार्ग जानते हैं" वे मूल्यों और संवैधानिक सिद्धांतों में निहित होते हैं, जो उनके शासन, सामाजिक सुधार, या संस्थागत परिवर्तन के निर्णयों का मार्गदर्शन करते हैं। वे निजी इच्छाओं के बजाय ज्ञान, परामर्श और विवेक पर निर्भर रहते हैं।

उदाहरण द्वारा नेतृत्व (Leading by Example)

1. प्रभावी नेता केवल दृष्टिकोण पर बात नहीं करते, वे उस पर क्रियान्वयन करते हैं। वे जोखिम लेते हैं, जवाबदेही स्वीकार करते हैं, और अपने आचरण से नैतिक मानक स्थापित करते हैं। उदाहरण स्वरूप, रेल दुर्घटना के बाद **लाल बहादुर शास्त्री** का इस्तीफा नैतिक ज़िम्मेदारी का परिचायक था, केवल प्रतीकात्मक नेतृत्व नहीं।
2. जो सिविल सेवक अशांत क्षेत्रों या आपदाओं में बिना ईमानदारी से समझौता किए सेवा करते हैं, वे इस आदर्श को मूर्त रूप देते हैं। उनका आचरण बिना किसी बल के लोगों में विश्वास और अनुपालन की भावना उत्पन्न करता है।
3. **महात्मा गांधी** का स्वतंत्रता आंदोलन में नेतृत्व अनुकरणीय था—उन्होंने जनता के साथ पदयात्राएं कीं, सादगी को अपनाया, और जो मूल्य उन्होंने उपदेश दिए उन्हें स्वयं जिया। ऐसा नेतृत्व विश्वसनीयता और नैतिक अधिकार अर्जित करता है।

प्रेरित करता है, सशक्त बनाता है और मार्गदर्शन देता है (Inspires, Empowers, and Mentors)

1. महान नेता दूसरों को सशक्त बनाते हैं, विवेकपूर्ण ढंग से कार्य सौंपते हैं, और उत्तराधिकारियों को तैयार करते हैं। प्रशासन में, युवा अधिकारियों का मार्गदर्शन करना, टीम भावना को प्रोत्साहित करना, और समावेशी मंच तैयार करना इस गुण का परिचायक है।
2. **कोविड-19 संकट** के दौरान जिन आईएएस अधिकारियों ने नागरिकों के साथ नियमित संवाद बनाए रखा, विश्वसनीय जानकारी साझा की, और सुलभ बने रहे—उन्होंने अपने सहकर्मियों, स्वास्थ्यकर्मियों और समुदायों को "मार्ग दिखाया"।
3. नैतिक नेतृत्व पद या स्थिति से नहीं, बल्कि प्रभाव से उत्पन्न होता है। पंचायतों, एनजीओ या कक्षा में भी वे नेता जो व्यक्तिगत आचरण द्वारा सामूहिक भलाई के लिए प्रेरित करते हैं, समाज में नैतिक वातावरण की रचना करते हैं।

निष्कर्ष

मैक्सवेल का उद्धरण मूल्य-आधारित नेतृत्व को सुंदरता से परिभाषित करता है, जो दृष्टि की स्पष्टता, चरित्र की दृढ़ता, और दूसरों का मार्गदर्शन करने की क्षमता को समाहित करता है। सिविल सेवाओं और सार्वजनिक जीवन में, ऐसा नेतृत्व अत्यंत आवश्यक है ताकि जनता का विश्वास बनाए रखा जा सके, प्रभावी शासन सुनिश्चित किया जा सके, और एक ऐसा समाज निर्मित हो जो न्याय, जवाबदेही और सामूहिक प्रगति पर आधारित हो। **आगे का मार्ग है—नेतृत्व केवल अधिकार से नहीं, बल्कि प्रामाणिकता से करें।**

10. प्राचीन भारतीय आदर्श 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का आज की विभाजित वैश्विक व्यवस्था में गहरा नैतिक महत्त्व है। चर्चा कीजिए।

वसुधैव कुटुम्बकम्, अर्थात् "सारा संसार एक परिवार है," यह प्राचीन भारतीय दर्शन से उद्भूत एक कालजयी नैतिक सिद्धांत है, जिसका मूल स्रोत **महा उपनिषद** में मिलता है। आज के युग में, जो ध्रुवीकरण, संघर्षों, जलवायु संकटों और शरणार्थी विस्थापन जैसी चुनौतियों से घिरा है, यह आदर्श वैश्विक एकता, करुणा और सहयोग को बढ़ावा देने वाला एक सार्वभौमिक नैतिक संदेश प्रदान करता है।

आज की वैश्विक व्यवस्था में वसुधैव कुटुम्बकम् की नैतिक प्रासंगिकता

1. **संकट में वैश्विक एकजुटता को बढ़ावा देना**

   कोविड-19 महामारी जैसे वैश्विक आपातकालों के दौरान, भारत ने '**वैक्सीन मैत्री**' पहल के माध्यम से 100 से अधिक देशों को टीके भेजे। यह दर्शाता है कि भारत की विदेश नीति मानवीय मूल्यों से प्रेरित है, जो लेन-देन आधारित कूटनीति से ऊपर उठकर नैतिक दृष्टिकोण को अपनाती है।

2. **सहानुभूतिपूर्ण बहुपक्षीयता को प्रोत्साहन**

   जब पूरी दुनिया राष्ट्रवाद और एकतरफा नीतियों की ओर झुक रही है, तब यह आदर्श संवाद, सहमति और सामूहिक कल्याण पर बल देता है। यह संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक संस्थानों को नैतिकता और समावेशी निर्णय-निर्माण की दिशा में सशक्त बना सकता है।

3. **जलवायु न्याय और साझा जिम्मेदारी का समर्थन**

   जलवायु परिवर्तन सीमाओं को नहीं पहचानता। वसुधैव कुटुम्बकम् अंतरपीढ़ीय न्याय और पर्यावरणीय संरक्षण पर बल देता है, और राष्ट्रों से करुणा और न्याय के साथ 'साझी लेकिन विभेदित ज़िम्मेदारियों' को अपनाने का आह्वान करता है, जैसा कि पेरिस समझौते में प्रतिध्वनित होता है।

4. **शरणार्थियों और प्रवास नीति की नैतिकता को संबोधित करना**

   जब युद्ध और जलवायु संकट के कारण लाखों लोग विस्थापित हो रहे हैं, तब यह आदर्श सहानुभूति-आधारित शरणार्थी नीतियों को प्रेरित करता है। यह केवल कानूनी दायित्वों से परे जाकर मानवीय व्यवहार और गरिमा-संपन्न दृष्टिकोण की बात करता है।

5. **ज़ेनोफोबिया और सांस्कृतिक असहिष्णुता का प्रतिकार**

   दुनियाभर में नस्लवाद, घृणा अपराध और धार्मिक कट्टरता के बढ़ते मामलों के बीच, वसुधैव कुटुम्बकम् की समावेशी भावना इन प्रवृत्तियों को नैतिक चुनौती देती है। यह विविधता को ख़तरे की बजाय एक शक्ति के रूप में देखता है।

6. **शांति और संघर्ष समाधान का समर्थन**

   यह नैतिक दृष्टिकोण प्रभुत्व के बजाय संवाद को बढ़ावा देता है, और महात्मा गांधी के **अहिंसा दर्शन** की याद दिलाता है। इस्राइल-फ़िलिस्तीन या रूस-यूक्रेन जैसे संघर्षों को हल करने में साझा मानवता की भावना तनाव को कम कर सकती है।

7. **नैतिक वैश्विक अर्थव्यवस्था**

   यह मुनाफा-केंद्रित पूँजीवाद से मानव-केंद्रित वैश्वीकरण की ओर बदलाव का आह्वान करता है, जो **नैतिक व्यापार**, **उचित वेतन**, और **स्थिरता** को प्राथमिकता देता है। जी-20 जैसे मंचों में ग्लोबल साउथ के प्रतिनिधित्व की भारत की वकालत इसी आदर्श को दर्शाती है।

8. **भारत की सॉफ्ट पावर और वैश्विक नैतिकता**

   इस आदर्श को वैश्विक कूटनीति में बढ़ावा देकर, भारत अपनी **नैतिक नेतृत्व क्षमता** को सशक्त बनाता है। **अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस** और **सोलर एलायंस** जैसी पहलें दुनिया को साझा मूल्यों के माध्यम से एकजुट करने का भारत का प्रयास हैं।

निष्कर्ष

एक ऐसा विश्व जो **संघर्ष**, **असमानता** और **पारिस्थितिकीय संकट** से टूट रहा है, वहाँ **वसुधैव कुटुम्बकम्** केवल एक सांस्कृतिक आदर्श नहीं, बल्कि **मानवता के भविष्य के लिए एक नैतिक दिशा-सूचक** है। विदेश नीति, वैश्विक सहयोग और राष्ट्रीय आचरण में इस मूल्य को अपनाना एक ऐसा विश्व सुनिश्चित करेगा जो **समावेशी**, **स्थायी** और **नैतिक रूप से शासित** होगा। यह आदर्श हमें सिखाता है कि हमें **वैश्विक रूप से कार्य करना चाहिए, लेकिन नैतिक रूप से**, और हर निर्णय में **सहानुभूति** को केंद्र में रखना चाहिए।

11. वह कौन-से आधारभूत मूल्य हैं जो एक सिविल सेवक के आचरण का मार्गदर्शन करते हैं?? लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन मूल्यों की नैतिक महत्ता की परीक्षण कीजिए। साथ ही, समकालीन लोक प्रशासन में इनके क्षरण के कारणों का विश्लेषण कीजिए।

लोक सेवकों का आचरण नैतिक प्रशासन, संवैधानिक नैतिकता और जन-आस्था पर आधारित होना चाहिए। ये मूल्य न केवल प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करते हैं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को उत्तरदायी, पारदर्शी और जन-केंद्रित भी बनाते हैं। यह उत्तर लोक सेवा में अपेक्षित मूल्यों की व्याख्या करता है, उनके नैतिक महत्त्व को रेखांकित करता है तथा वर्तमान में उनके क्षरण के कारणों का विश्लेषण करता है।

लोक सेवकों के आचरण के लिए आवश्यक मूलभूत मूल्य

1. **ईमानदारी (Integrity):**

   ईमानदारी का तात्पर्य है—नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति अडिग निष्ठा रखना। एक ईमानदार लोक सेवक कभी भी व्यक्तिगत लाभ, रिश्वत या दबाव में निर्णय नहीं लेता। ई. श्रीधरन जैसे अधिकारियों ने सार्वजनिक परिवहन परियोजनाओं में पारदर्शिता और स्वच्छता बनाए रखी, जिससे उनकी छवि "मेट्रो मैन" के रूप में बनी और संस्थागत आस्था मजबूत हुई।

2. **निष्पक्षता (Objectivity):**

   निष्पक्षता का अर्थ है—किसी पूर्वग्रह, निजी संबंध या बाहरी दबाव से प्रभावित हुए बिना तटस्थ व तथ्याधारित निर्णय लेना। लोक सेवक को नियुक्तियों, संसाधन वितरण और नीति निर्माण में योग्यता व लोकहित को प्राथमिकता देनी चाहिए। जैसे—चुनाव आयोग के अधिकारियों द्वारा निष्पक्ष रूप से आचार संहिता लागू करना इस मूल्य का प्रमाण है।

3. **राजनीतिक तटस्थता (Political Neutrality):**

   इसका आशय है कि लोक सेवक सभी राजनीतिक दलों और सरकारों के प्रति समान निष्ठा रखे और अपने पद का उपयोग किसी विशेष विचारधारा या दल को लाभ पहुँचाने के लिए न करे। टी. एन. शेषन द्वारा चुनाव प्रणाली को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए किए गए प्रयास इस मूल्य की मिसाल हैं।

4. **सहानुभूति और करुणा (Empathy and Compassion):**

   सहानुभूति का मतलब है—जनता की समस्याओं को समझना और उनके प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण रखना। विशेषतः आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाएं या सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में यह मूल्य प्रशासन को मानवीय बनाता है। उदाहरण के लिए—कोविड-19 महामारी के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में राहत कार्य करते समय कई अधिकारियों ने मानवीय पहलू को प्राथमिकता दी।

5. **जन सेवा के प्रति समर्पण (Dedication to Public Service):**

   यह गुण लोक सेवक को कठिन परिस्थितियों, जैसे—नक्सल प्रभावित क्षेत्र, दूरदराज़ जनजातीय क्षेत्र या बाढ़-ग्रस्त इलाकों में भी सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे अधिकारी जो व्यक्तिगत सुविधा के स्थान पर जनहित को प्राथमिकता देते हैं, वे लोकतंत्र के असली प्रहरी होते हैं।

6. **जवाबदेही (Accountability):**

   लोक सेवक को संविधान, क़ानून और जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। पारदर्शिता, सूचना का अधिकार (RTI), जनशिकायत निवारण तंत्र और ई-गवर्नेंस जैसे साधनों से जवाबदेही सुनिश्चित होती है। इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता है और जनविश्वास बढ़ता है।

7. **नैतिक साहस (Courage of Conviction):**

   यह गुण तब आवश्यक होता है जब लोक सेवक को भ्रष्टाचार, राजनीतिक दबाव या व्यक्तिगत हानि के जोखिम के बावजूद सही कार्य करने का निर्णय लेना हो। अशोक खेमका जैसे अधिकारियों ने भूमि घोटालों के विरुद्ध कार्यवाही करके इस गुण का परिचय दिया।

8. **गैर-पक्षपात और न्यायप्रियता (Non-Partisanship and Fairness):**

   सभी नागरिकों को समान अवसर और सेवा प्रदान करना प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी है। एक न्यायप्रिय अधिकारी जाति, धर्म, लिंग या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करता, जिससे प्रशासनिक निष्पक्षता और सामाजिक एकता बनी रहती है।

2. लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन मूल्यों का नैतिक महत्त्व

1. **संवैधानिक नैतिकता की स्थापना (Upholds Constitutional Morality):**

   लोक सेवक जब स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे संवैधानिक आदर्शों के अनुरूप कार्य करते हैं, तो वे शासन को संविधान की आत्मा के अनुकूल बनाए रखते हैं। इससे प्रशासनिक निर्णय लोकहित में होते हैं और लोकतंत्र की साख बढ़ती है।

2. **लोक संस्थाओं में विश्वास की स्थापना (Builds Trust in Public Institutions):**

   जब अधिकारी निष्पक्षता, ईमानदारी और करुणा के साथ कार्य करते हैं, तो जनता का विश्वास संस्थानों पर गहराता है। इससे न केवल जनभागीदारी बढ़ती है, बल्कि शासन को वैधता भी प्राप्त होती है।

3. **कानून का शासन और प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करना (Ensures Rule of Law and Procedural Fairness):**
   नैतिक अधिकारी नागरिकों के साथ कानून के अनुरूप और निष्पक्ष व्यवहार करते हैं। इससे लोक सेवाओं की गुणवत्ता सुधरती है और पक्षपात या मनमानी की संभावना घटती है।
4. **लोकतांत्रिक शासन को सशक्त बनाना (Strengthens Democratic Governance):**
   जब अधिकारी उत्तरदायी और सहानुभूतिपूर्ण होते हैं, तो नीतियों की क्रियान्वयन क्षमता और शिकायत निवारण प्रणाली मजबूत होती है। इससे शासन अधिक सहभागितापूर्ण और प्रभावी बनता है।
5. **नैतिक नेतृत्व का विकास (Promotes Ethical Leadership and Role Modelling):**
   ऐसे अधिकारी जो मूल्यों पर आधारित कार्य करते हैं, वे संस्था में अन्य कर्मियों के लिए आदर्श बनते हैं। किरण बेदी और दुर्गा शक्ति नागपाल जैसे अधिकारी इस भूमिका का उदाहरण हैं।
6. **शक्ति के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार को रोकना (Prevents Misuse of Power and Corruption):**
   नैतिक मूल्यों पर आधारित प्रशासन भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और शक्ति के दुरुपयोग को रोकता है। इससे शासन में पारदर्शिता और लोकहित सुनिश्चित होता है।
7. **राज्य और नागरिकों के बीच की दूरी को कम करना (Bridges State–Citizen Disconnect):**
   जवाबदेह और सहानुभूतिपूर्ण अधिकारी नागरिकों से संवाद बनाए रखते हैं, जिससे जनशिकायतें सुनी जाती हैं और लोकतांत्रिक भागीदारी मजबूत होती है।
8. **समावेशी विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना (Fosters Inclusive Development and Social Justice):**
   जब लोक सेवक विशेष रूप से वंचित और कमज़ोर वर्गों के प्रति संवेदनशील रहते हैं, तो वे संवैधानिक वादों को साकार करते हैं और सामाजिक असमानताओं को दूर करते हैं।

3. समकालीन प्रशासन में इन मूल्यों के क्षरण के कारण

1. **राजनीतिक हस्तक्षेप और स्थानांतरण की धमकियाँ (Political Pressure and Transfer Threats):**
   प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप और मनमाने स्थानांतरण अधिकारियों को डराने का कार्य करते हैं, जिससे वे अपने नैतिक निर्णयों से पीछे हटने को मजबूर हो जाते हैं। इससे उनकी निष्पक्षता और साहस प्रभावित होता है।
2. **भ्रष्टाचार और 'रेंट-सीकिंग' संस्कृति (Corruption and Rent-Seeking Culture):**
   जब रिश्वतखोरी और पक्षपात प्रणाली का हिस्सा बन जाएं, तो अधिकारियों के लिए नैतिक मूल्यों पर टिके रहना मुश्किल हो जाता है। इससे ईमानदारी और पारदर्शिता का क्षरण होता है।
3. **जवाबदेही तंत्र की कमज़ोरी (Lack of Accountability Mechanisms):**
   प्रभावी सतर्कता व्यवस्था और कार्यवाही की अनुपस्थिति में अधिकारी अनुशासनहीन आचरण में लिप्त हो सकते हैं, जिससे जनता का शासन पर विश्वास कम होता है।
4. **कैरियरवाद और भौतिकवाद (Careerism and Materialism):**
   प्रमोशन, सुविधाएं, और सेवा-निवृत्ति के पश्चात पदों की लालसा कुछ अधिकारियों को मूल्यों से विचलित कर देती है। इससे सेवा भावना की बजाय व्यक्तिगत लाभ हावी हो जाता है।
5. **संस्थागत कमज़ोरी और नौकरशाही की जड़ता (Institutional Weakness and Bureaucratic Apathy):**
   कठोर पदानुक्रम, नवाचार का अभाव और यथास्थिति बनाए रखने की प्रवृत्ति संस्थानों को निष्क्रिय बना देती है, जिससे अधिकारी जोखिम लेने और नैतिक निर्णय लेने से कतराते हैं।
6. **मूल्य-आधारित प्रशिक्षण की कमी (Inadequate Value-Based Training):**
   प्रशिक्षण संस्थानों में नैतिकता की शिक्षा अक्सर सैद्धांतिक स्तर तक सीमित रहती है। बिना व्यावहारिक अनुभव और नैतिक आदर्शों से प्रेरणा लिए अधिकारी मूल्यों को व्यवहार में नहीं उतार पाते।

निष्कर्ष:

लोक सेवकों के मूलभूत मूल्य भारतीय लोकतंत्र के नैतिक स्तंभ हैं। जब इन मूल्यों का पालन होता है, तो शासन पारदर्शी, न्यायपूर्ण और समावेशी बनता है। परंतु इनका क्षरण न केवल शासन प्रणाली को कमज़ोर करता है, बल्कि जन-आस्था को भी प्रभावित करता है। इन्हें पुनः सुदृढ़ करने के लिए—कठोर जवाबदेही, राजनीतिक हस्तक्षेप से स्वतंत्रता, प्रशिक्षण में सुधार और नैतिक अधिकारियों को सम्मान देना आवश्यक है। तभी भारत में एक उत्तरदायी और संवेदनशील प्रशासनिक तंत्र का निर्माण संभव होगा।

12. बौद्ध धर्म की मूल शिक्षाएँ क्या हैं? चर्चा कीजिए कि ये शिक्षाएँ व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में नैतिक निर्णय लेने और उत्तरदायी आचरण को बढ़ावा देने में किस प्रकार प्रासंगिक हैं।

बौद्ध धर्म एक नैतिक और दार्शनिक प्रणाली है जो नैतिक आचरण, ज्ञान और मानसिक अनुशासन पर बल देता है। यह चार आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग पर आधारित है, जो आत्म-अनुशासन, करुणा और नैतिक जीवन को प्रोत्साहित करता है। ये सिद्धांत व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में अत्यधिक प्रासंगिक हैं, और नैतिक निर्णय-निर्माण तथा उत्तरदायी आचरण को बढ़ावा देते हैं।

1. बौद्ध धर्म की मूल शिक्षाएँ (Fundamental Teachings of Buddhism)

1. **चार आर्य सत्य (Four Noble Truths):**

   बौद्ध दर्शन का मूल आधार चार आर्य सत्य हैं: दुःख का अस्तित्व (दुःख), दुःख का कारण (तृष्णा), दुःख की समाप्ति (निर्वाण), और मुक्ति का मार्ग (अष्टांगिक मार्ग)। ये सत्य आत्म-चेतना को बढ़ाते हैं, मोह को कम करते हैं और सतर्क जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, जो नैतिक आत्म-नियमन और उत्तरदायी निर्णय-निर्माण से मेल खाता है।

2. **अष्टांगिक मार्ग (Eightfold Path):**

   यह मार्ग निम्न आठ तत्वों से मिलकर बना है—सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये नैतिक और ध्यान संबंधी सिद्धांत व्यक्ति को नैतिक अखंडता, उत्तरदायी व्यवहार और आंतरिक शांति की ओर मार्गदर्शन करते हैं।

3. **पंचशील (Five Precepts):**

   इन पाँच व्रतों में हिंसा न करना, चोरी न करना, असत्य न बोलना, नशीले पदार्थों से बचना और कामवासना से संयम रखना शामिल हैं। ये नियम ईमानदारी, अहिंसा, आत्म-अनुशासन और दूसरों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देते हैं, जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक नैतिकता के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

4. **कर्म का सिद्धांत और नैतिक परिणाम (Law of Karma and Ethical Consequences):**

   बौद्ध धर्म में यह सिखाया गया है कि प्रत्येक कर्म का फल होता है। यह सिद्धांत नैतिक आचरण के महत्त्व को रेखांकित करता है। दया, ईमानदारी और न्याय के साथ कर्म करने से दीर्घकालिक व्यक्तिगत और व्यावसायिक उन्नति सुनिश्चित होती है, और अनैतिक आचरण से बचा जा सकता है।

5. **मध्यम मार्ग (Middle Way / Madhyamaka):**

   यह सिद्धांत अत्यधिक भोग और कठोर तपस्या दोनों से बचते हुए संतुलन बनाए रखने की शिक्षा देता है। यह व्यक्तिगत जीवन और निर्णय-निर्माण में संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है, जिससे आवेगपूर्ण कार्यों से बचा जा सकता है और विवेकशीलता को बढ़ावा मिलता है।

6. **करुणा और परोपकार (Compassion and Altruism / Karuna and Metta):**

   सभी प्राणियों के प्रति करुणा बौद्ध धर्म का केन्द्रीय तत्व है। यह सहानुभूति, मानवीय नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देता है, जिससे व्यक्ति अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों में अधिक संवेदनशील और उत्तरदायी बनता है।

7. **अनित्यता और अनात्मा (Impermanence and Non-Attachment / Anicca & Anatta):**

   बौद्ध धर्म यह सिखाता है कि सभी चीजें अस्थायी हैं और किसी भी वस्तु या व्यक्ति में स्थायी आत्मा नहीं होती। यह भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति को कम करता है, अहंकार-प्रेरित निर्णयों से बचाता है, और व्यक्ति को अधिक सार्थक एवं नैतिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा देता है।

8. **स्मृति और आत्म-जागरूकता (Mindfulness / Sati and Self-Awareness):**

सतत जागरूकता विकसित करने से व्यक्ति में भावनात्मक बुद्धिमत्ता, विवेकपूर्ण सोच और नैतिक जिम्मेदारी आती है। यह निर्णय-निर्माण में आत्म-अनुशासन सुनिश्चित करता है, जिससे पारदर्शिता और उत्तरदायित्व कायम रहता है।

2. व्यक्तिगत नैतिक निर्णय-निर्माण में बौद्ध शिक्षाओं की प्रासंगिकता (Relevance of Buddhist Teachings in Personal Ethical Decision-Making)

1. **आत्म-अनुशासन और अहिंसा का अभ्यास (Practicing Self-Discipline and Non-Harm):**

हिंसा, झूठ और चोरी के विरुद्ध बौद्ध धर्म के उपदेश व्यक्ति को जिम्मेदारी से कार्य करने और दूसरों को हानि न पहुँचाने की प्रेरणा देते हैं। इससे व्यक्तिगत संबंधों में ईमानदारी बढ़ती है और विश्वास का वातावरण बनता है।

2. **सहानुभूति और करुणा का विकास (Developing Empathy and Compassion):**

बौद्ध धर्म 'मैत्री' (Metta) को प्रोत्साहित करता है, जिससे भावनात्मक समझ और मानवीय संबंधों में गहराई आती है। यह पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में संघर्ष समाधान को बेहतर बनाता है।

3. **विचार और कर्म में सतर्कता (Mindfulness in Thought and Action):**

ध्यानपूर्वक कार्य करना व्यक्ति को नैतिक और सचेत निर्णय लेने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, किसी विवाद की स्थिति में क्रोध के बजाय धैर्य से प्रतिक्रिया देना बौद्ध सिद्धांतों के अनुकूल है।

4. **भौतिक आसक्तियों से मुक्त होना (Letting Go of Material Attachments):**

अनित्यत्व (Anicca) का सिद्धांत व्यक्ति को धन, प्रतिष्ठा और अहंकार से दूर रखता है, जिससे निर्णय अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण होते हैं।

5. **मध्यम मार्ग द्वारा इच्छाओं और आवश्यकताओं में संतुलन (Balancing Desires and Needs through the Middle Way):**

अत्यधिक उपभोक्तावाद या पूर्ण संन्यास की बजाय, बौद्ध धर्म संतुलित जीवन की सलाह देता है, जिससे व्यक्ति तनाव से मुक्त रहकर नैतिक और संतोषजनक जीवन जी सकता है।

6. **सत्यनिष्ठा और दैनिक जीवन में ईमानदारी (Truthfulness and Integrity in Daily Life):**

सम्यक वाणी (Right Speech) झूठ बोलने से रोकता है, जिससे झूठ और छल से बचा जा सकता है। सत्य के प्रति प्रतिबद्धता से दीर्घकालिक विश्वास और सामाजिक संपर्कों में मजबूती आती है।

7. **कर्म सिद्धांत द्वारा उत्तरदायित्व की भावना (Accountability through the Law of Karma):**

यह समझ कि प्रत्येक कर्म का फल होता है, व्यक्ति में नैतिक उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करता है और उसे नैतिक आचरण के प्रति सजग बनाता है।

8. **क्षमा और वैरभाव से मुक्ति (Forgiveness and Letting Go of Grudges):**

बौद्ध धर्म क्षमा और पुनर्मिलन को प्रोत्साहित करता है, जिससे तनाव कम होता है और पारिवारिक तथा सामाजिक संबंधों में समरसता बढ़ती है।

3. व्यावसायिक नैतिक निर्णय-निर्माण में बौद्ध शिक्षाओं की प्रासंगिकता (Relevance of Buddhist Teachings in Professional Ethical Decision-Making)

1. **व्यावसायिक आचरण में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा (Honesty and Integrity in Professional Conduct):**

सम्यक वाणी (Right Speech) धोखाधड़ी और झूठे वादों को रोकती है, जिससे व्यापारिक लेन-देन और कार्यस्थल में पारदर्शिता और ईमानदारी बनी रहती है। नैतिक कॉर्पोरेट शासन इस सिद्धांत के अनुरूप होता है।

2. **करुणामय नेतृत्व और कर्मचारी कल्याण (Compassionate Leadership and Employee Well-Being):**
   बौद्ध नैतिकता अपनाने वाले नेता कर्मचारियों के प्रति करुणा, उचित वेतन और सम्मान सुनिश्चित करते हैं, जिससे कार्यस्थल में नैतिकता और समावेशन की भावना पनपती है। उदाहरणस्वरूप, कर्मचारियों के लिए कल्याण योजनाएं लागू करने वाली कंपनियाँ करुणा के सिद्धांत के अनुरूप कार्य करती हैं।
3. **नैतिक व्यापारिक प्रथाएँ और सततता (Ethical Business Practices and Sustainability):**
   अहिंसा पर बल देने वाला बौद्ध धर्म पर्यावरणीय क्षरण और शोषण से बचने वाली सतत व्यापारिक नीतियों को प्रेरित करता है। आज कई कंपनियाँ अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) में इन सिद्धांतों को शामिल कर रही हैं।
4. **स्मृति और विवेक पर आधारित निर्णय-निर्माण (Decision-Making Based on Mindfulness and Rationality):**
   कार्यस्थल पर mindfulness का अभ्यास विवेकपूर्ण निर्णयों को जन्म देता है, जो आवेग और संघर्ष को कम करता है। कई कॉर्पोरेट नेता नैतिक नेतृत्व के लिए ध्यान तकनीकों का उपयोग करते हैं।
5. **नैतिक धन सृजन और सम्यक आजीविका (Ethical Wealth Creation and Right Livelihood):**
   सम्यक आजीविका (Right Livelihood) ऐसे व्यवसायों को हतोत्साहित करता है जो हिंसा, शोषण या अनैतिक गतिविधियों से जुड़े हों, और नैतिक उद्यमिता तथा सामाजिक निवेश को बढ़ावा देता है।
6. **भावनात्मक बुद्धिमत्ता द्वारा संघर्ष समाधान (Conflict Resolution through Emotional Intelligence):**
   बौद्ध शिक्षाएं अहिंसक संघर्ष समाधान को प्रोत्साहित करती हैं, जिससे कार्यस्थल में सौहार्द बना रहता है। आज की कई संवाद रणनीतियाँ करुणा और सक्रिय श्रवण पर आधारित होती हैं।
7. **कार्य-जीवन संतुलन और तनाव प्रबंधन (Work-Life Balance and Stress Management):**
   मध्यम मार्ग व्यावसायिकों को बर्नआउट से बचाता है और उत्पादकता के साथ मानसिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करता है। अनेक संगठन mindfulness प्रशिक्षण को कर्मचारियों की भलाई के लिए अपनाते हैं।
8. **उत्तरदायित्व और दीर्घकालिक नैतिक सफलता (Accountability and Long-Term Ethical Success):**
   वे व्यवसाय जो बौद्ध शिक्षाओं पर आधारित नैतिक सिद्धांतों का पालन करते हैं, वे दीर्घकाल में टिकाऊ सफलता, ग्राहक विश्वास और नियामकीय अनुपालन प्राप्त करते हैं। कर्म का सिद्धांत कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व को दृढ़ बनाता है।

निष्कर्ष:

बौद्ध धर्म की शिक्षाएँ व्यक्तिगत और व्यावसायिक निर्णय-निर्माण के लिए एक सुदृढ़ नैतिक ढाँचा प्रदान करती हैं। सत्यनिष्ठा, करुणा और स्मृति जैसे उनके सिद्धांत आधुनिक नैतिक शासन और उत्तरदायी आचरण के साथ मेल खाते हैं। शिक्षा, नेतृत्व और नीतिनिर्माण में बौद्ध नैतिकता को बढ़ावा देना वैश्विक शांति, समावेशन और सतत विकास को प्रोत्साहित कर सकता है, जिससे समाज अधिक न्यायपूर्ण और सौहार्दपूर्ण बन सकता है।

13. आलोचनात्मक रूप से परीक्षण कीजिए कि किस प्रकार सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम नागरिक केंद्रित शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण में पारदर्शिता को बढ़ावा देने में सहायक रहा है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 एक ऐतिहासिक विधायी प्रावधान है जो नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों के पास उपलब्ध सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। यह पारदर्शिता, जवाबदेही और सहभागी शासन को प्रोत्साहित करता है। इसने नागरिकों और राज्य के बीच संबंध को गोपनीयता की संस्कृति से पारदर्शिता की ओर परिवर्तित कर दिया है, जिससे लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व को बल मिला है।

सूचना का अधिकार अधिनियम ने नागरिक केंद्रित शासन में योगदान दिया है

1. **नागरिकों को जवाबदेही की माँग का अधिकार देता है**
   इस अधिनियम के माध्यम से सामान्य नागरिक सरकारी विभागों के कार्यों पर प्रश्न पूछ सकते हैं। चाहे वह राशन कार्ड की देरी हो या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना में धन के उपयोग की जानकारी – नागरिकों ने सूचना का अधिकार अधिनियम का उपयोग करके उत्तर माँगा है। इससे जमीनी स्तर पर लोकतंत्र और प्रशासनिक उत्तरदायित्व को सशक्त किया गया है।

2. **कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाता है**

इस अधिनियम ने सार्वजनिक सेवा वितरण में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को उजागर किया है, जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लीकेज, पेंशन में देरी, और ग्रामीण रोज़गार योजनाओं में धन की हेराफेरी। इससे यह सुनिश्चित हुआ है कि योजनाओं का लाभ लक्षित लाभार्थियों तक पहुँचे।

3. **सहभागी शासन को सशक्त बनाता है**

यह अधिनियम नागरिकों को मात्र प्राप्तकर्ता नहीं, बल्कि शासन के सक्रिय भागीदार बनाता है। यह स्वयंसेवी संगठनों, पत्रकारों और नागरिक समाज को निगरानीकर्ता की भूमिका निभाने का अवसर देता है, जिससे शासन अधिक समावेशी और जनोन्मुखी बनता है।

4. **नियम आधारित निर्णय-निर्माण को प्रोत्साहित करता है**

सूचना के प्रकटीकरण के भय से अधिकारी निर्णयों का दस्तावेजीकरण करने लगे हैं। इससे यह सुनिश्चित हुआ है कि लोक सेवक कानून के प्रति उत्तरदायी रहें और उनके कार्य मनमाने न हों। यह प्रक्रिया आधारित न्याय को बढ़ावा देता है।

5. **विश्वास के अंतर को कम करता है**

यह अधिनियम संस्थाओं में नागरिकों का विश्वास बढ़ाता है क्योंकि इससे वे तथ्यों को सत्यापित कर सकते हैं और भ्रामक जानकारी को चुनौती दे सकते हैं। यह नागरिकों को बिना नौकरशाही हस्तक्षेप के सीधे जानकारी प्राप्त करने का माध्यम प्रदान करता है, जिससे संस्थागत विश्वसनीयता बढ़ती है।

6. **सूचनाओं को उजागर करने वालों को संरक्षण प्रदान करता है**

इस अधिनियम के माध्यम से कई लोगों ने आदर्श हाउसिंग घोटाले और मध्याह्न भोजन योजना में अनियमितताओं जैसे घोटालों को उजागर किया है। यह नैतिक साहस को बढ़ावा देता है क्योंकि यह सत्ता के दुरुपयोग को उजागर करने के लिए आँकड़ों तक पहुँच प्रदान करता है।

7. **सूचना प्राप्ति को लोकतांत्रिक बनाता है**

यह अधिनियम राज्य और नागरिकों के बीच जानकारी की असमानता को समाप्त करता है, विशेषकर गरीबों और हाशिए पर खड़े समुदायों के लिए। उदाहरणस्वरूप, दलितों और आदिवासियों ने इस अधिनियम का प्रयोग कल्याणकारी योजनाओं में जातिगत भेदभाव को चुनौती देने के लिए किया है।

8. **संस्थागत सुधारों को प्रोत्साहित करता है**

जब विभाग सार्वजनिक निगरानी के अधीन आते हैं, तो इस अधिनियम ने फाइल ट्रैकिंग में सुधार, अभिलेखों के डिजिटलीकरण और सक्रिय प्रकटीकरण की प्रक्रिया को तेज किया है, जो कि ई-गवर्नेंस और डिजिटल भारत पहल के साथ मेल खाता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में चुनौतियाँ

1. **सूचना आयोगों की स्वायत्तता में कमी**

वर्ष 2019 में किए गए संशोधनों के तहत केन्द्रीय और राज्य सूचना आयुक्तों के कार्यकाल और स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया। इससे संस्थागत ढाँचा कमज़ोर होता है और सूचना प्रकटीकरण का राजनीतिकरण होने का ख़तरा बढ़ता है।

2. **रिकॉर्ड प्रबंधन और डिजिटलीकरण की कमी**

अनेक विभाग अब भी मैनुअल रिकॉर्ड रखते हैं, जिससे सूचना देने में देरी या इनकार की स्थिति उत्पन्न होती है। डिजिटलीकरण की कमी से फाइल ट्रैकिंग बाधित होती है और अधिकारियों के लिए समय सीमा के भीतर उत्तर देना कठिन हो जाता है।

3. **सूचना माँगने वालों को डराना और प्रताड़ित करना**

कई सूचना माँगने वाले नागरिकों को धमकी, हिंसा या यहाँ तक कि मृत्यु का सामना करना पड़ा है। भ्रष्टाचार उजागर करने वालों को सुरक्षा तंत्र की अनुपस्थिति के कारण नागरिक इस अधिनियम का उपयोग करने से हिचकते हैं, जिससे भय और दंडहीनता का वातावरण बनता है।

4. **अनुपालन में लापरवाही और देरी**

सार्वजनिक प्राधिकरण प्रायः आवेदनों की उपेक्षा करते हैं या उत्तर देने में देरी करते हैं, जिससे पारदर्शिता की भावना कमज़ोर होती है। सूचना आयोगों में लंबित मामलों की संख्या बढ़ने से आवेदकों को समय पर न्याय नहीं मिल पाता।

5. **नागरिकों में जागरूकता की कमी**

   विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग इस अधिनियम के अंतर्गत अपने अधिकारों से अनजान हैं। यह इस अधिनियम की पहुँच और प्रभावशीलता को सीमित करता है।

6. **धारा 8 के अंतर्गत छूट का अत्यधिक प्रयोग**

   अधिकारी अक्सर राष्ट्र सुरक्षा या व्यक्तिगत जानकारी जैसे बहानों का हवाला देकर सूचना देने से मना कर देते हैं, चाहे वह औचित्यपूर्ण न हो। इससे संस्थागत पारदर्शिता और सार्वजनिक निगरानी में कमी आती है।

7. **आयोगों में रिक्तियाँ और कर्मचारियों की कमी**

   सूचना आयोगों में वर्षों से रिक्तियाँ बनी हुई हैं, जिससे सुनवाई और निर्णयों में देरी होती है। कई राज्यों में राज्य सूचना आयोग निष्क्रिय हैं या नाममात्र के स्तर पर कार्य कर रहे हैं।

8. **अधिकारियों में प्रशिक्षण की कमी**

   लोक सूचना अधिकारियों को अक्सर इस अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी नहीं होती या उन्हें समुचित प्रशिक्षण नहीं मिला होता, जिससे वे गुणवत्ता-हीन उत्तर देते हैं या सीधे इंकार कर देते हैं। यह प्रशासनिक उदासीनता और नागरिक विश्वास में गिरावट को दर्शाता है।

आगे का मार्ग

1. **सूचना आयोगों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना**

   द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के अनुसार, सूचना आयोगों को निश्चित कार्यकाल, स्वायत्तता और पर्याप्त स्टाफ प्रदान करना चाहिए ताकि निर्णय निष्पक्ष और प्रभावी हों।

2. **डिजिटलीकरण और सक्रिय प्रकटीकरण**

   सभी विभागों को अभिलेखों का डिजिटलीकरण करना चाहिए और अधिनियम की धारा 4 को लागू करना चाहिए, जिसमें स्वप्रेरित प्रकटीकरण अनिवार्य किया गया है। डिजिटल डैशबोर्ड और ओपन डेटा पोर्टल्स सूचना के अधिकार के बोझ को कम कर सकते हैं और पारदर्शिता को बढ़ा सकते हैं।

3. **सूचना माँगने वालों के लिए सुरक्षा तंत्र**

   सूचना का अधिकार अधिनियम को व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014 के साथ जोड़ा जाए और उच्च स्तर के भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले नागरिकों को पुलिस सुरक्षा और विधिक सहायता प्रदान की जाए, जिससे उनकी आवाज सुरक्षित रह सके।

4. **जन-जागरूकता अभियान**

   सरकारों को स्कूलों, पंचायतों और नागरिक समाज के मंचों पर जागरूकता अभियान चलाने चाहिए, ताकि ग्रामीण और हाशिए पर खड़े समुदायों में भी सूचना अधिकारों की जानकारी पहुँचे और नीचे से ऊपर की ओर सशक्तिकरण सुनिश्चित हो।

5. **लोक सूचना अधिकारियों की क्षमता बढ़ाना**

   लोक सूचना अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण और संवेदनशीलता कार्यशालाएँ आयोजित की जानी चाहिए, ताकि वे सूचना अनुरोधों को कुशलतापूर्वक और विधिसम्मत ढंग से सँभाल सकें। प्रत्येक विभाग में सूचना का अधिकार इकाई की स्थापना से अनुपालन बेहतर होगा।

6. **आयोगों में लंबित मामलों को कम करना**

   पर्याप्त संख्या में आयुक्तों और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए। अपीलों और शिकायतों के निपटान के लिए समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किए जाएँ और आयोगों का प्रदर्शन लेखा परीक्षण द्वारा आंका जाए।

7. **धारा 8 की छूटों का दुरुपयोग सीमित करना**

   धारा 8 के अंतर्गत छूट के दायरे को स्पष्ट रूप से परिभाषित और सीमित किया जाए। संवेदनशील जानकारी और जनहित के बीच संतुलन बनाए रखा जाए और किसी भी अस्वीकृति को युक्तिसंगत कारणों के साथ ही लागू किया जाए।

8. **सुशासन से संस्थागत एकीकरण**

   सूचना का अधिकार अधिनियम को सामाजिक लेखा परीक्षा, नागरिक घोषणा-पत्र और ई-गवर्नेंस मंचों जैसे अन्य उत्तरदायित्व उपकरणों के साथ एकीकृत किया जाए, जिससे एक मजबूत और बहुस्तरीय पारदर्शिता व्यवस्था बन सके, जैसा कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने परिकल्पित किया था।

निष्कर्ष:

सूचना का अधिकार अधिनियम सहभागी लोकतंत्र और नैतिक शासन का एक शक्तिशाली उपकरण है। हालाँकि इसमें परिवर्तनकारी क्षमता है, लेकिन संरचनात्मक और संस्थागत चुनौतियाँ इसके प्रभाव को बाधित करती हैं। आयोगों को सशक्त बनाना, उपयोगकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करना, और प्रशासन के सभी स्तरों पर पारदर्शिता की संस्कृति बनाना आवश्यक है ताकि शासन अधिक नागरिक-केंद्रित, उत्तरदायी और संवेदनशील बन सके।

14. सिविल सेवाओं में वस्तुनिष्ठता (Objectivity) को एक मूल मूल्य के रूप में नैतिक दृष्टिकोण से क्यों महत्त्वपूर्ण माना जाता है? जब एक लोक सेवक को विरोधाभासी हितों और व्यक्तिगत द्वंद्वों का सामना करना पड़े, तो वह वस्तुनिष्ठता कैसे बनाए रख सकता है? उपयुक्त उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए।

निष्पक्षता लोक सेवा में एक मूलभूत नैतिक मूल्य है, जिसके अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि निर्णय निष्पक्षता, तर्कशीलता और किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत पक्षपात या बाहरी प्रभाव से मुक्त होकर लिए जाएँ। लोकतांत्रिक प्रणाली में निष्पक्षता शासन में विश्वास को सुदृढ़ करती है, न्याय सुनिश्चित करती है, और विधिक शासन की प्रतिष्ठा को बनाए रखती है, जिससे यह नैतिक लोक प्रशासन और संस्थागत विश्वसनीयता के लिए अत्यंत आवश्यक बन जाती है।

लोक सेवा में एक केंद्रीय मूल्य के रूप में निष्पक्षता का नैतिक महत्त्व

1. **निर्णय-निर्माण में न्याय और समानता सुनिश्चित करती है**

   निष्पक्षता लोक सेवकों को पक्षपात या पूर्वाग्रह से बचने में मदद करती है। जब वे प्रमाण, योग्यता और नियमों के आधार पर कार्य करते हैं, तो कल्याणकारी योजनाओं या आपदा राहत जैसी सेवाओं का निष्पक्ष वितरण सुनिश्चित होता है, जिससे सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा मिलता है।

2. **विधिक शासन को सुदृढ़ करती है**

   निष्पक्ष अधिकारी विधिक प्रक्रियाओं का बिना किसी दबाव के पालन करते हैं। चाहे वह भवन निर्माण की अनुमति देना हो या यातायात नियमों को लागू करना—नियमों के प्रति निष्ठा, बिना सामाजिक हैसियत या दबाव को देखे, विधिक पवित्रता और लोकतांत्रिक अखंडता को कायम रखती है।

3. **संस्थाओं में सार्वजनिक विश्वास को बनाती है**

   जब निर्णय निष्पक्ष और बिना पक्षपात के प्रतीत होते हैं, तो नागरिक सार्वजनिक प्रणालियों में विश्वास करते हैं। निष्पक्षता संस्थागत वैधता को मजबूत करती है, विशेषकर पुलिस, न्यायपालिका या कर निर्धारण जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में।

4. **उत्तरदायित्व और पारदर्शिता को बढ़ावा देती है**

   निष्पक्ष निर्णय-निर्माण प्रमाणिक दस्तावेजों पर आधारित होता है और लेखा परीक्षण या सूचना प्राप्ति के आवेदन के दौरान आसानी से स्पष्ट किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि लोक सेवक कानून और जनता दोनों के प्रति उत्तरदायी बना रहे।

5. **भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद को कम करती है**

   निष्पक्षता भ्रष्ट प्रथाओं को हतोत्साहित करती है क्योंकि यह मनमाने निर्णय की गुंजाइश को समाप्त करती है। नियुक्ति, खरीद प्रक्रिया और अनुबंध देने जैसी व्यवस्थाएँ नियम-आधारित कार्यप्रणाली से अत्यधिक लाभान्वित होती हैं।

6. **विवाद समाधान में सहायक होती है**

   भूमि अधिग्रहण या श्रमिक आंदोलनों जैसे विवादों में, निष्पक्षता लोक सेवक को एक तटस्थ मध्यस्थ के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाती है, जिससे सभी पक्षों का विश्वास अर्जित होता है और शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा मिलता है।

7. **तथ्य-आधारित नीति क्रियान्वयन को समर्थन देती है**

   निष्पक्षता डेटा-आधारित शासन प्रणाली को बढ़ावा देती है, जिससे भावनात्मक या राजनीतिक पूर्वाग्रह कम होते हैं। सर्वेक्षण, आवश्यकता आकलन और प्रभाव मूल्यांकन का प्रयोग कर अधिकारी तर्कसंगत और परिणामोन्मुख निर्णय ले सकते हैं।

8. **नैतिक नेतृत्व को सशक्त बनाती है**

   निष्पक्ष अधिकारी विशेषकर ध्रुवीकृत या संवेदनशील परिस्थितियों में एक आदर्श बन जाते हैं। वैचारिक प्रभाव से दूर रहते हुए, वे नैतिक तटस्थता और लोक सेवा में व्यावसायिक उत्कृष्टता का प्रदर्शन करते हैं।

जब विरोधाभासी हित सामने आएँ तो लोक सेवक किस प्रकार निष्पक्षता बनाए रख सकते हैं

1. **निर्धारित प्रक्रियाओं और नियमों का पालन करें**

   कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर भरोसा रखने से अधिकारी बाहरी दबावों से सुरक्षित रहता है। उदाहरण के लिए, यदि दो ठेकेदार प्रभाव डालते हैं, तो सबसे कम दर वाले तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाता को ठेका देना निष्पक्षता सुनिश्चित करता है।

2. **प्रमाण एकत्र करें और तथ्यों की पुष्टि करें**

   निर्णय लेने से पहले अधिकारी को सभी तथ्यों को एकत्रित कर उनकी पुष्टि करनी चाहिए। किसी कुप्रबंधन की जाँच के दौरान लिखित अभिलेखों, सीसीटीवी फुटेज और वित्तीय रजिस्टरों पर निर्भर करना निष्पक्ष तथ्यान्वेषण में सहायक होता है।

3. **हितधारकों से दूरी बनाए रखें**

   प्रभावित होने से बचने के लिए लोक सेवकों को हितधारकों से निजी मुलाकात या उपहार लेने से बचना चाहिए। उदाहरण के लिए, भूमि अधिग्रहण के प्रभारी उपजिलाधिकारी को रियल एस्टेट डेवलपर्स के साथ व्यक्तिगत संपर्क से परहेज़ करना चाहिए ताकि जनता का विश्वास बना रहे।

4. **समूह आधारित निर्णय प्रणाली अपनाएँ**

   जब हित टकराते हैं, तो निर्णय प्रक्रिया में बहु-हितधारक समितियों को शामिल करना पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और पक्षपात की संभावना को कम करता है। उदाहरण के लिए, विद्यालयों में स्थानांतरण समिति की सिफारिशों और वस्तुनिष्ठ मापदंडों के आधार पर किया जा सकता है।

5. **निर्णयों का पारदर्शी दस्तावेजीकरण करें**

   फाइल पर उचित टिप्पणियाँ और तर्कों का उल्लेख यह दिखाता है कि निर्णय तर्क और प्रक्रिया के आधार पर लिए गए हैं, न कि प्रभाव के। इससे उत्तरदायित्व बढ़ता है और अधिकारी को पक्षपात या दुराचार के आरोपों से सुरक्षा मिलती है।

6. **पूर्ववर्ती उदाहरणों और न्यायिक निर्णयों का संदर्भ लें**

   संदेह की स्थिति में संबंधित पूर्व निर्णयों या न्यायालय के आदेशों का परामर्श निर्णयों में स्थिरता सुनिश्चित करता है। अतिक्रमण हटाने के मामलों में पूर्ववर्ती न्यायालय निर्णयों का उपयोग निष्पक्ष कार्रवाई में मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है।

7. **नैतिक ढाँचों से मार्गदर्शन लें**

   लोक सेवा आचरण नियमावली, नोलन सिद्धांत और संवैधानिक प्रावधान जैसे नैतिक ढाँचों से मार्गदर्शन प्राप्त करना अनेक हित समूहों से जुड़े निर्णयों में नैतिक दिशा प्रदान करता है।

8. **राजनीतिक दबाव के बजाय जनहित को प्राथमिकता दें**

   जब स्थानीय जनप्रतिनिधि तबादले या अनुज्ञा हेतु प्रभाव डालते हैं, तो लोक सेवक को सेवा वितरण की नागरिक केंद्रित प्रकृति की याद दिलानी चाहिए और पारदर्शिता, विधिक अनुपालन तथा निष्पक्षता को प्राथमिकता देनी चाहिए।

जब व्यक्तिगत दुविधाओं का सामना हो तब लोक सेवक किस प्रकार निष्पक्षता बनाए रख सकते हैं

1. **व्यक्तिगत विश्वास को पेशेवर कर्तव्यों से अलग रखें**

   एक अधिकारी व्यक्तिगत रूप से किसी जीवनशैली से असहमत हो सकता है, परंतु कानून के तहत सभी को समान व्यवहार देना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि कोई अधिकारी समलैंगिक संबंधों के प्रति व्यक्तिगत रूप से असहमत है, तो भी उसे वैध विवाह पंजीकरण देना होगा।

2. **व्यक्तिगत नैतिकता के स्थान पर संवैधानिक नैतिकता को प्राथमिकता दें**

   जब धार्मिक भावनाएँ धर्मनिरपेक्ष शासन से टकराती हैं, तो लोक सेवक को समानता और स्वतंत्रता जैसे संवैधानिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक वैध अंतर्धार्मिक विवाह को सामुदायिक असहमति के बावजूद अनुमति देना नैतिक निष्पक्षता को दर्शाता है।

3. **हितों के टकराव की स्थितियों से बचें**

   यदि कोई मामला परिवार या मित्रों से जुड़ा हो, तो अधिकारी को स्वयं को उस निर्णय प्रक्रिया से अलग कर लेना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि किसी प्रखंड विकास पदाधिकारी का भाई किसी सरकारी योजना में आवेदन करता है, तो उस अधिकारी को उस निर्णय से अलग रहना चाहिए।

4. **वरिष्ठों या नैतिक समिति से परामर्श लें**

   नैतिक रूप से अस्पष्ट क्षेत्रों में, अधिकारी वरिष्ठ अधिकारियों या विभागीय नैतिक समितियों से परामर्श लेकर व्यक्तिपरक निर्णय से बच सकते हैं और निष्पक्षता बनाए रख सकते हैं।

5. **कर्तव्य और जनहित पर चिंतन करें**

   झुग्गी-झोपड़ी निवासियों को हटाने जैसे भावनात्मक मामलों में, व्यक्तिगत सहानुभूति विधिक उत्तरदायित्व पर हावी नहीं होनी चाहिए। निष्पक्षता यह सुनिश्चित करती है कि पुनर्वास की व्यवस्था समानांतर रूप से की जाए, जिससे कर्तव्य और करुणा का संतुलन बना रहे।

6. **नैतिक निर्णय-निर्माण मॉडल का प्रयोग करें**

   पांच चरणीय नैतिक तर्क पद्धति (तथ्य, हितधारक, मूल्य, विकल्प, कार्यवाही) जैसे मॉडल जटिल दुविधाओं का तर्कसंगत विश्लेषण करने में सहायक होते हैं, विशेषकर जब व्यक्तिगत भावनाएँ जुड़ी होती हैं।

7. **मैदान में चुनौतियों के दौरान भावनात्मक निर्लिप्तता का अभ्यास करें**

   सांप्रदायिक दंगे या आपदा राहत जैसी स्थितियों में अधिकारी को शांत रहना चाहिए और सभी पक्षों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, किसी भी प्रकार की भावनात्मक प्रतिक्रिया या व्यक्तिगत भय के प्रभाव में आए बिना।

8. **अस्पष्ट स्थितियों में विधिक उपाय अपनाएँ**

   जब सामाजिक दबाव के कारण व्यक्तिगत दुविधाएँ उत्पन्न हों, तो लोक सेवक को विधिक प्रावधानों का पालन करना चाहिए और विधिक शासन के अनुसार कार्य करना चाहिए ताकि तटस्थता बनी रहे।

निष्कर्ष:

निष्पक्षता निष्पक्ष शासन का नैतिक आधार है। जब अधिकारी दबाव, पूर्वाग्रह और व्यक्तिगत दुविधाओं का सामना करते हैं, तब यही मूल्य उन्हें विधिक, न्यायपूर्ण और नागरिक-केंद्रित निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। आगे का मार्ग नैतिकता पर नियमित प्रशिक्षण, संस्थागत सुरक्षा उपाय और मार्गदर्शक अधिकारियों की संरचना में निहित है, जिससे निष्पक्षता प्रशासन में नागरिक विश्वास की आधारशिला बनी रहे।

15. "कॉरपोरेट गवर्नेंस नियमों का पालन भर नहीं, बल्कि एक नैतिक कॉर्पोरेट संस्कृति का निर्माण है।" इस कथन की चर्चा हाल के कॉर्पोरेट घोटालों और नैतिक व्यापार आचरण सुनिश्चित करने में निदेशक मंडलों की भूमिका के संदर्भ में कीजिए।

कॉरपोरेट प्रशासन उस रूपरेखा को दर्शाता है जिसके माध्यम से कंपनियों का निर्देशन और नियंत्रण किया जाता है। यद्यपि विधिक प्रावधान और नियम इसकी संरचना प्रदान करते हैं, लेकिन वास्तविक प्रशासन केवल अनुपालन से कहीं आगे की बात है। यह ईमानदारी, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता और ऐसी संस्कृति पर आधारित होता है जहाँ नैतिक मूल्यों को केवल लागू नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें आत्मसात किया जाता है। हालिया कॉरपोरेट घोटालों से स्पष्ट है कि यदि नैतिक संस्कृति का अभाव हो, तो मजबूत कानूनी ढाँचा भी अप्रभावी हो सकता है।

कॉरपोरेट प्रशासन नियमों के बारे में नहीं, बल्कि नैतिक कॉरपोरेट संस्कृति के निर्माण के बारे में है

1. **मजबूत विधिक ढाँचे के बावजूद घोटाले जारी हैं**

   भारत में कंपनी अधिनियम, प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड नियमावली, तथा स्वतंत्र लेखा परीक्षण मानदंड जैसे प्रगतिशील कानून हैं। फिर भी, आईएल एंड एफएस और डीएचएफएल जैसे घोटाले दिखाते हैं कि केवल नियमों से अनैतिक व्यवहार को नहीं रोका जा सकता यदि कंपनी की संस्कृति में नैतिक नेतृत्व और नैतिक नियंत्रणों का अभाव हो।

2. **कॉरपोरेट घोटालों के पीछे नैतिक शून्यता**

   नीरव मोदी और पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में जाली गारंटी पत्रों का उपयोग कर बैंकिंग नियमों की जानबूझकर अनदेखी की गई। यह नियामक विफलता नहीं, बल्कि आंतरिक नैतिक मूल्यों और सावधानीपूर्वक मूल्यांकन की विफलता थी, जिससे स्पष्ट होता है कि नैतिक पतन ने, न कि कानूनी कमी ने, इस घोटाले को संभव बनाया।

3. **केवल औपचारिक अनुपालन, सच्चे उत्तरदायित्व का अभाव**

   कई कंपनियाँ प्रशासन को केवल एक चेकलिस्ट गतिविधि के रूप में देखती हैं—जैसे बोर्ड बैठकें, प्रकटीकरण और लेखा परीक्षा—जबकि नैतिक मानकों की उपेक्षा की जाती है। यह सतही पालन दिखावटी आंकड़ों और हेरफेर की अनुमति देता है, जिससे सुशासन की भावना कमज़ोर पड़ जाती है।

4. **नेतृत्व का आचरण नैतिक स्वर निर्धारित करता है**

   जब शीर्ष अधिकारी निजी लाभ के लिए अनियमित व्यवहार करते हैं या जानबूझकर झूठी जानकारी प्रस्तुत करते हैं, तो यह संदेश जाता है कि नैतिकता महत्त्वहीन है। सत्यम घोटाले ने दिखाया कि जब शीर्ष स्तर पर नैतिकता का अभाव होता है, तो वह पूरे तंत्र में धोखाधड़ी को जन्म देता है।

5. **सूचना देने वालों को दबाना विषैली संस्कृति को दर्शाता है**

   जो कंपनियाँ असहमति को दबाती हैं या सूचना देने वालों को दंडित करती हैं, वे डर और चुप्पी की संस्कृति को बढ़ावा देती हैं। वर्ष (2019) में इन्फोसिस के सूचना देने वाले मामले ने यह उजागर किया कि प्रतिष्ठित कंपनियाँ भी नैतिक चिंताओं की उपेक्षा कर सकती हैं यदि संस्कृति में ईमानदारी को संस्थागत रूप से स्थापित नहीं किया गया हो।

6. **लघुकालिक सोच और लाभ के प्रति आसक्ति**

   कॉरपोरेट धोखाधड़ी प्रायः तिमाही लाभ और शेयर मूल्य पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने के कारण होती है। ऐसी संस्कृति जोखिम लेने और आँकड़ों में हेरफेर को बढ़ावा देती है, जबकि नैतिक नेतृत्व या दीर्घकालिक स्थिरता की उपेक्षा करती है, जिससे धोखाधड़ी के लिए अनुकूल वातावरण बनता है।

7. **नैतिक संस्कृति आत्म-नियमन को प्रोत्साहित करती है**

   एक मूल्यों पर आधारित संगठन कर्मचारियों के भीतर आंतरिक नैतिक मार्गदर्शक विकसित करता है। नैतिक संस्कृति स्वैच्छिक अनुपालन, नैतिक नेतृत्व और उत्तरदायी नवाचार को प्रोत्साहित करती है, जिससे कानूनी दबाव की आवश्यकता कम हो जाती है।

8. **प्रकरण अध्ययन – टाटा समूह एक नैतिक मानक के रूप में**

   अन्य घोटालों से प्रभावित कंपनियों के विपरीत, टाटा समूह को प्रायः अपनी नैतिक विरासत के लिए उद्धृत किया जाता है, जहाँ प्रशासन केवल नियमों पर नहीं, बल्कि संस्थागत मूल्यों पर आधारित होता है। इस संस्कृति ने समूह की विश्वसनीयता को पीढ़ियों तक बनाए रखा है।

नैतिक व्यावसायिक आचरण सुनिश्चित करने में बोर्ड की भूमिका

1. **नैतिक दृष्टिकोण और शीर्ष स्तर पर आचरण की परिभाषा**

   बोर्ड को कंपनी की नैतिक अपेक्षाओं और प्रशासनिक दर्शन को परिभाषित करना चाहिए। एक सक्रिय बोर्ड मिशन वक्तव्यों, नैतिक आचार संहिता और भ्रष्टाचार तथा धोखाधड़ी के विरुद्ध स्पष्ट नीतियों के माध्यम से ईमानदारी की संस्कृति स्थापित करता है।

2. **मुख्य कार्यपालक और वरिष्ठ प्रबंधन की निगरानी**

   बोर्ड को कार्यपालकों के प्रदर्शन का निष्पक्ष मूल्यांकन करना चाहिए, न कि केवल औपचारिक अनुमोदनकर्ता की भूमिका निभानी चाहिए। यस बैंक के पतन में मुख्य कार्यपालक के हाथों अत्यधिक अधिकार के कारण बोर्ड की निष्क्रियता सामने आई।

3. **लेखा और जोखिम समिति को सशक्त बनाना**

   स्वतंत्र लेखा समितियाँ प्रारंभिक धोखाधड़ी की पहचान में महत्त्वपूर्ण होती हैं। बोर्ड को समय पर, पारदर्शी लेखा समीक्षाएँ सुनिश्चित करनी चाहिए और किसी भी संकेत को गंभीरता से लेना चाहिए। सत्यम मामले में आंतरिक चिंताओं की अनदेखी बोर्ड की लापरवाही को दर्शाती है।

4. **सूचना देने वालों की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ावा देना**

   बोर्ड को गोपनीय और बिना प्रतिशोध की सूचना देने की प्रणाली को संस्थागत रूप देना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शिकायतों की निष्पक्ष जाँच हो और सूचना देने वालों की रक्षा हो। इससे बाहरी निरीक्षण से पहले आंतरिक नैतिक नियंत्रण विकसित होता है।

5. **प्रशिक्षण और नैतिक क्षमता निर्माण**

   बोर्ड सदस्यों को व्यावसायिक नैतिकता, पर्यावरण-सामाजिक-शासन मानकों और न्यासीय कर्तव्यों में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। समय-समय पर संवेदनशीलता सत्र उन्हें नैतिक विवेक और जटिल मुद्दों पर गहन निरीक्षण में सक्षम बनाते हैं।

6. **प्रकटीकरण और पारदर्शिता की निगरानी**

   बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है कि वित्तीय आँकड़ों, पर्यावरणीय-सामाजिक-शासन सूचनाओं और संबंधित पक्षों के लेन-देन का पूर्ण और निष्पक्ष प्रकटीकरण हो। डीएचएफएल की जाली ऋण पुस्तिकाओं में जैसी गलत सूचना तब होती है जब बोर्ड प्रकटीकरण कर्तव्यों का पालन करने में असफल रहता है।

7. **बोर्ड की स्वतंत्रता और विविधता सुनिश्चित करना**

   वास्तव में स्वतंत्र निदेशक समूह में एकरूपता या प्रवर्तकों के प्रभुत्व का प्रतिरोध करने के लिए आवश्यक हैं। विविध अनुभव और लैंगिक प्रतिनिधित्व वाले बोर्ड निर्णय-निर्माण में नैतिक विविधता को बढ़ावा देते हैं।

8. **प्रदर्शन मापदंडों को नैतिक लक्ष्यों के साथ संरेखित करना**

   बोर्ड को कार्यपालक प्रोत्साहनों को केवल लाभ नहीं, बल्कि नैतिक प्रदर्शन, सामाजिक उत्तरदायित्व और हितधारक संतुष्टि से भी जोड़ना चाहिए। इससे व्यक्तिगत लाभ या शेयर मूल्य में हेरफेर से प्रेरित अनैतिक आचरण पर रोक लगती है।

निष्कर्ष

कॉरपोरेट प्रशासन को एक नियम-आधारित प्रणाली से मूल्य-आधारित प्रणाली में विकसित होना चाहिए। ईमानदारी, निष्पक्षता और पारदर्शिता पर आधारित नैतिक कॉरपोरेट संस्कृति का निर्माण धोखाधड़ी के विरुद्ध सबसे प्रभावी सुरक्षा उपाय है। बोर्ड को नैतिक संरक्षक की भूमिका निभानी चाहिए, न कि मूकदर्शक की। प्रशासन में नैतिकता को केवल अनुपालन की परत नहीं, बल्कि संस्था के मूल में समाहित करना होगा।

16. सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा (Integrity) बनाए रखने में संस्थागत और व्यक्तिगत स्तर पर कौन-कौन सी चुनौतियाँ आती हैं? राजनीतिक और सामाजिक दबावों के बीच लोक सेवकों को सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए किस प्रकार प्रशिक्षित किया जा सकता है?

लोक जीवन में ईमानदारी का तात्पर्य नैतिक सिद्धांतों, पारदर्शिता और निष्पक्षता के प्रति पूर्ण निष्ठा से है। यह नैतिक शासन और जन-विश्वास की नींव है। किंतु संस्थागत कमज़ोरियाँ और व्यक्तिगत कमज़ोरियाँ इसके सतत पालन में बाधाएँ उत्पन्न करती हैं। लोक सेवकों को राजनीतिक हस्तक्षेप और सामाजिक अपेक्षाओं के बावजूद ईमानदारी बनाए रखने हेतु प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

लोक जीवन में ईमानदारी बनाए रखने में संस्थागत चुनौतियाँ

1. **राजनीतिक हस्तक्षेप और मनमाने तबादले**

   अनैतिक राजनीतिक दबाव का विरोध करने पर बार-बार तबादला कर देना ईमानदार अधिकारियों को हतोत्साहित करता है। निश्चित कार्यकाल की अनुपस्थिति प्रशासनिक स्वतंत्रता को कमज़ोर कर देती है। जैसे अशोक खेमका और दुर्गा शक्ति नागपाल जैसे सूचना उजागर करने वाले अधिकारियों के मामले में देखा गया।

2. **सतर्कता और निगरानी तंत्र की कमज़ोरी**

लोकपाल, केन्द्रीय सतर्कता आयोग और विभागीय सतर्कता प्रकोष्ठ जैसे निकाय अक्सर संसाधनों की कमी और राजनीतिक नियुक्तियों से जूझते हैं। इससे वे अनैतिक आचरण पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रख पाते, जिससे दंडमुक्ति की संस्कृति विकसित होती है।

3. **सूचना उजागर करने वालों को सुरक्षा का अभाव**

सूचना उजागर करने वाले संरक्षण अधिनियम, 2014 के प्रभावी क्रियान्वयन की कमी अधिकारियों को भ्रष्टाचार या कदाचार की रिपोर्ट करने से हतोत्साहित करती है, क्योंकि उन्हें स्थानांतरण, प्रतिशोध या शारीरिक हानि का डर रहता है।

4. **अस्पष्ट निर्णय प्रक्रिया**

कई सार्वजनिक कार्यालयों में निर्णय बिना उचित दस्तावेज़ीकरण के लिए जाते हैं, जिससे उत्तरदायित्व निर्धारित करना कठिन हो जाता है। डिजिटल ट्रैकिंग और फ़ाइल गतिकी प्रणाली की अनुपस्थिति मनमानी और अपारदर्शी कार्यप्रणाली को बढ़ावा देती है।

5. **अप्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली**

शिकायतों के निपटारे में देरी और निष्क्रियता ईमानदार अधिकारियों को हतोत्साहित करती है। नागरिक भी प्रणाली से विश्वास खो बैठते हैं, जिससे प्रभाव या रिश्वत का उपयोग सामान्य हो जाता है और अनैतिक व्यवहार स्वीकृत हो जाता है।

6. **नैतिक समितियों की सीमित भूमिका**

यद्यपि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसकी अनुशंसा की थी, परंतु मंत्रालयों और विभागों में नैतिक समितियाँ प्रायः केवल औपचारिक होती हैं। इनकी सलाहकार भूमिका में क्रियान्वयन की शक्ति का अभाव है और नैतिक आचरण पर संस्थागत मार्गदर्शन अत्यल्प है।

7. **प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन में नैतिकता की उपेक्षा**

लोक सेवकों का मूल्यांकन प्रायः मात्रात्मक लक्ष्यों के आधार पर होता है, न कि निर्णयों की नैतिक गुणवत्ता पर। इससे "प्रदर्शन बनाम ईमानदारी" का द्वंद्व उत्पन्न होता है, जहाँ अनैतिक शॉर्टकट को भी पुरस्कृत किया जा सकता है।

8. **भर्ती और पदोन्नति में राजनीतिक संरक्षण**

जब पदोन्नति या स्थानांतरण राजनीतिक संबंधों के आधार पर होते हैं, न कि योग्यता के अनुसार, तो इससे प्रतिफल की संस्कृति बनती है, जो ईमानदार आचरण को हतोत्साहित करती है और संस्थागत मनोबल को कमज़ोर करती है।

लोक जीवन में ईमानदारी बनाए रखने में व्यक्तिगत चुनौतियाँ

1. **अलगाव का डर और समर्थन की कमी**

ईमानदार अधिकारी अक्सर व्यावसायिक अलगाव, सामाजिक बहिष्कार या प्रशासनिक उत्पीड़न का सामना करते हैं। संस्थागत या सहकर्मी समर्थन के अभाव में नैतिक आचरण बनाए रखना मानसिक और भावनात्मक रूप से कठिन हो जाता है।

2. **आर्थिक दबाव और जीवनशैली की आकांक्षाएँ**

बढ़ती व्यक्तिगत अपेक्षाएँ और समाज द्वारा भव्य जीवनशैली बनाए रखने का दबाव अधिकारियों को अवैध आमदनी की ओर प्रेरित करता है। यह विशेष रूप से उन अधिकारियों को प्रभावित करता है जो साधारण आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं या जिन पर परिवारिक दायित्व हैं।

3. **क्षेत्र या समुदाय से भावनात्मक लगाव**

जाति, धर्म या क्षेत्रीय संबंध लोक सेवकों को निर्णयों में पक्षपात की ओर ले जाते हैं। जब सामाजिक निष्ठाएँ संवैधानिक कर्तव्यों से टकराती हैं, तो निष्पक्षता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होता है।

4. **सहकर्मी प्रभाव और समूह संस्कृति**

जब सहकर्मियों में अनैतिक व्यवहार व्यापक होता है, तो उस संस्कृति में ढलने का दबाव होता है। नैतिक कार्य करने वाले अधिकारी अलग-थलग महसूस कर सकते हैं या उन्हें अव्यावहारिक समझा जा सकता है, जिससे उनका मनोबल और कार्यप्रदर्शन प्रभावित होता है।

5. **सेवानिवृत्ति के बाद की असुरक्षा**

भविष्य के रोज़गार, सुरक्षा या राजनीतिक पुनर्नियुक्ति की चिंता सेवा के दौरान निर्णयों को प्रभावित कर सकती है। यह विशेष रूप से उन वरिष्ठ अधिकारियों पर लागू होता है जो सेवानिवृत्ति के निकट होते हैं।

6. **नैतिक प्रशिक्षण या जागरूकता की कमी**

कई अधिकारी नैतिक तर्क या नैतिक दुविधाओं में प्रशिक्षित नहीं होते। किसी रूपरेखा या पूर्व अनुभव के अभाव में, लोक सेवकों के लिए जटिल नैतिक स्थितियों में स्पष्टता से निर्णय लेना कठिन हो जाता है।

7. **पारिवारिक और सामाजिक अपेक्षाएँ**

रिश्तेदार और समुदाय के सदस्य प्रायः अधिकारियों से व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा करते हैं। ऐसे संदर्भ में मना करना सामाजिक टकराव उत्पन्न करता है, जिससे व्यक्ति की नैतिक दृढ़ता की परीक्षा होती है।

8. **जटिल परिस्थितियों में नैतिक अस्पष्टता**

कुछ दुविधाएँ—जैसे सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे के लिए झुग्गी-झोपड़ी हटाना—स्पष्ट नैतिक उत्तर नहीं देतीं। ऐसे में अधिकारी को कानून, सहानुभूति और जनहित के बीच संतुलन साधना होता है, जिससे व्यक्तिगत ईमानदारी बनाए रखना कठिन हो जाता है।

राजनीतिक और सामाजिक दबावों के बीच लोक सेवकों को ईमानदारी बनाए रखने हेतु प्रशिक्षित किया जा सकता है

1. **प्रारंभिक और मध्य-सेवा प्रशिक्षण में नैतिक शिक्षा को संस्थागत बनाना**

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, राज्य स्तरीय अकादमियों और प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों में नैतिक दुविधाओं के उदाहरण, नैतिक तर्क, संविधानिक मूल्य, तथा वास्तविक जीवन के अनुभवों पर आधारित पाठ्यक्रम सभी सेवा चरणों में शामिल किए जाने चाहिए।

2. **नैतिक आदर्शों से परामर्श और मार्गदर्शन को बढ़ावा देना**

कनिष्ठ अधिकारियों को नैतिक दृष्टि से सम्मानित वरिष्ठों के साथ जोड़ा जाना चाहिए ताकि उन्हें व्यवहारिक अंतर्दृष्टि और नैतिक समर्थन मिल सके। ऐसा मार्गदर्शन संकटों के समय नैतिक दृढ़ता और साहस को बढ़ावा देता है।

3. **संवैधानिक नैतिकता और लोक सेवा प्रेरणा का विकास**

प्रशिक्षण में यह समझाया जाना चाहिए कि सर्वोच्च निष्ठा संविधान और जनहित के प्रति होनी चाहिए, न कि किसी व्यक्ति विशेष के प्रति। सेवा भाव और गांधीवादी नैतिकता को आत्मसात कराना नैतिक उद्देश्य को सुदृढ़ करता है।

4. **प्रशिक्षण में दबावयुक्त परिदृश्यों का अनुकरण**

राजनीतिक दबाव, मीडिया की जाँच या भ्रष्टाचार के प्रयासों जैसी नकली परिस्थितियाँ बनाकर अधिकारियों को नैतिक उत्तरदायित्व की प्रैक्टिस कराई जाए जिससे वे वास्तविक परिस्थितियों के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें।

5. **नैतिक परामर्शदाताओं के नेटवर्क की स्थापना**

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसा के अनुसार, प्रत्येक विभाग में एक नैतिक परामर्शदाता नियुक्त किया जाना चाहिए जो अधिकारियों को जटिल दुविधाओं पर मार्गदर्शन दे और नियमित संवाद व सहयोग के माध्यम से ईमानदारी को बढ़ावा दे।

6. **प्रकरण साझा कर साथियों से सीखने को प्रोत्साहन**

ऐसे मंचों और संगोष्ठियों का आयोजन हो जहाँ अधिकारी अपने नैतिक अनुभवों और समाधानों को साझा करें। इससे ईमानदारी की सेवा में सामान्यता आती है और सहयोगात्मक नैतिक संस्कृति विकसित होती है।

7. **पारदर्शिता के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग**

प्रशिक्षण में उन डिजिटल उपकरणों पर ध्यान दिया जाना चाहिए जो मानवीय विवेकाधिकार को कम करते हैं और वस्तुनिष्ठता को बढ़ाते हैं। ई-ऑफिस, ई-निविदा और सूचना का अधिकार पोर्टल जैसे उपकरण अधिकारियों को अनैतिक दबावों का सामना करने में सशक्त बनाते हैं।

8. **नैतिक आचरण का सम्मान और प्रोत्साहन**

प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार जैसे सम्मान कार्यक्रमों में ईमानदारी और नैतिक निर्णय-निर्माण को मूल्यांकन मानदंड में शामिल किया जाना चाहिए, जिससे अधिकारी जनहित के प्रति प्रतिबद्ध बने रहें।

निष्कर्ष

लोक जीवन में ईमानदारी बनाए रखने के लिए संस्थागत समर्थन और व्यक्तिगत प्रतिबद्धता दोनों आवश्यक हैं। एक जटिल लोकतांत्रिक परिवेश में, लोक सेवकों को साहस, सहानुभूति और संविधानिक निष्ठा के साथ नैतिक दुविधाओं को समझने और समाधान करने हेतु प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। नैतिक प्रशिक्षण को सशक्त करना, संस्थागत मार्गदर्शन को प्रभावी बनाना और प्रणालीगत सुरक्षा उपायों को लागू करना यह सुनिश्चित करेगा कि ईमानदारी भारतीय लोक प्रशासन की आधारशिला बनी रहे।

17. पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए व्हिसलब्लोइंग (Whistleblowing) क्यों आवश्यक माना जाता है? दुराचार उजागर करने वाले व्हिसलब्लोअर किन नैतिक द्वंद्वों का सामना करते हैं? सरकार किस प्रकार उन्हें संरक्षण प्रदान कर सकती है जिससे संस्थागत उत्तरदायित्व भी बना रहे?

सूचना उजागर करना (व्हिसलब्लोइंग) किसी संगठन के भीतर व्याप्त अनैतिक, गैरकानूनी या भ्रष्ट गतिविधियों को सार्वजनिक हित में उजागर करने की प्रक्रिया है। यह पारदर्शिता बढ़ाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने और दुराचार को रोकने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालाँकि, सूचना उजागर करने वालों को प्रायः गंभीर नैतिक दुविधाओं और प्रतिशोध का सामना करना पड़ता है। अतः एक सुव्यवस्थित विधिक ढाँचा आवश्यक है, जो उन्हें सुरक्षा प्रदान कर सके और साथ ही संस्थागत अखंडता को भी बनाए रखे।

सूचना उजागर करना पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह निम्नलिखित में सहायक होता है –

1. **भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी को उजागर करना**

सूचना देने वाले व्यक्ति वित्तीय घोटालों, गबन और भ्रष्टाचार को उजागर करने में सहायक होते हैं, जो अन्यथा छिपे रह सकते थे। इससे नैतिक वित्तीय प्रशासन सुनिश्चित होता है। भारत में सत्यम घोटाले जैसे उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि आंतरिक खुलासे बड़े स्तर पर वित्तीय पतन को रोक सकते हैं।

2. **जनता के विश्वास को सुदृढ़ करना**

अनैतिक गतिविधियों को उजागर करके सूचना देने वाले संस्थाओं में जनता का विश्वास पुनः स्थापित करते हैं। पारदर्शिता सरकार, निजी कंपनियों और सार्वजनिक उपक्रमों में वैधता को बढ़ावा देती है और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करती है।

3. **कॉरपोरेट और सार्वजनिक प्रशासन को सशक्त बनाना**

जिन संगठनों में सूचना उजागर करने की सशक्त नीतियाँ होती हैं—जैसे घूसखोरी विरोधी प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 37001)—वे नियामकीय उल्लंघनों को रोकते हैं और नैतिक कार्य वातावरण बनाए रखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में यह संविधानिक मूल्यों जैसे ईमानदारी और निष्पक्षता को लागू करता है।

4. **पर्यावरणीय और सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों को रोकना**

औषधि, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में सूचना देने वाले व्यक्ति संभावित आपदाओं को रोकने में सहायक होते हैं। उदाहरणस्वरूप, यदि भोपाल गैस त्रासदी (1974) से पहले कर्मचारी सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की सूचना देते, तो वह त्रासदी टाली जा सकती थी।

5. **नैतिक नेतृत्व को बढ़ावा देना**

सूचना देने वाले के प्रति अनुकूल संस्कृति नैतिक नेतृत्व और नैतिक साहस को विकसित करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि निर्णयकर्ता लाभ या राजनीतिक हितों की बजाय नैतिक निर्णयों को प्राथमिकता दें।

6. **भविष्य में अनैतिक कृत्यों को रोकना**

जब कर्मचारी अनैतिक आचरण की सूचना देते हैं, तो यह एक निवारक प्रभाव उत्पन्न करता है, जिससे संगठन अधिक उत्तरदायी बनते हैं। उजागर होने का भय कंपनियों और सरकारों को नैतिक मानकों का स्वेच्छापूर्वक पालन करने के लिए विवश करता है।

7. **मौलिक अधिकारों और सामाजिक न्याय की रक्षा करना**

सूचना उजागर करना नागरिकों को राज्य के दुरुपयोग, भेदभाव और नीति विफलताओं से बचाता है। उदाहरणस्वरूप, स्नोडन द्वारा उजागर की गई वैश्विक निगरानी गतिविधियों ने निजता के अधिकार के उल्लंघन पर वैश्विक ध्यान खींचा।

अनैतिक आचरण को उजागर करते समय सूचना देने वालों को जिन नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ता है –

1. **निष्ठा और सार्वजनिक हित के बीच टकराव**

कर्मचारी अपने नियोक्ता के प्रति निष्ठा और जनहित की रक्षा के बीच संघर्ष करते हैं। कदाचार की रिपोर्ट करना कई बार विश्वासघात जैसा प्रतीत होता है, जिससे मानसिक तनाव उत्पन्न होता है।

2. **प्रतिशोध और नौकरी जाने का डर**

सूचना देने वालों को निलंबन, पदावनति या अनुचित बर्खास्तगी का सामना करना पड़ता है। उदाहरणस्वरूप, भारतीय वन सेवा के अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को भ्रष्टाचार उजागर करने पर बार-बार स्थानांतरित किया गया।

3. **विधिक और वित्तीय जोखिम**

अनेक देशों में सशक्त सूचना उजागर करने वाले कानूनों के अभाव में व्यक्ति मानहानि के मुकदमों, आपराधिक अभियोजन या वित्तीय दंड का सामना कर सकते हैं, जिससे नैतिक खुलासों को हतोत्साहित किया जाता है।

4. **व्यक्तिगत सुरक्षा को ख़तरा**

सूचना देने वाले प्रायः शारीरिक हमले या हत्या जैसी गंभीर धमकियों का सामना करते हैं। उदाहरणस्वरूप, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में भ्रष्टाचार उजागर करने वाले अभियंता सत्येन्द्र दुबे की हत्या कर दी गई।

5. **संस्थागत समर्थन का अभाव**

अनेक संगठनों में स्वतंत्र शिकायत निवारण तंत्र नहीं होते, जिससे सूचना देने वाले असुरक्षित हो जाते हैं। कार्यस्थल पर सामाजिक कलंक और अलगाव की आशंका भी रिपोर्टिंग से हतोत्साहित करती है।

6. **नैतिक अनिश्चितता और अपराधबोध**

सूचना देने वाले अक्सर नैतिक तनाव का सामना करते हैं, यह सोचते हुए कि क्या उनके कृत्य से वास्तव में न्याय होगा या उन्होंने निर्दोष सहयोगियों को संकट में डाल दिया है। उदाहरणस्वरूप, कोविड-१९ की चेतावनी देने वाले डॉ. ली वेनलियांग को उत्पीड़न का सामना करना पड़ा और बाद में उनकी मृत्यु हो गई।

7. **दुरुपयोग और झूठे आरोपों का ख़तरा**

प्रायः प्रेरित उद्देश्यों के लिए शिकायत दर्ज करने का जोखिम रहता है, जैसे—व्यक्तिगत प्रतिशोध, राजनीतिक उद्देश्य या स्वार्थ, जिससे संस्थागत विश्वसनीयता और न्याय प्रक्रिया को हानि पहुँचती है।

8. **गोपनीयता और सुरक्षा का अभाव**

गोपनीयता तंत्र की कमज़ोरी के कारण कई सूचना देने वालों की पहचान उजागर हो जाती है, जिससे उन्हें सामाजिक बहिष्कार, मानसिक तनाव और निर्वासन जैसे संकटों का सामना करना पड़ता है। उदाहरणस्वरूप, विकिलीक्स से जुड़े जूलियन असांज को गोपनीय सूचनाएँ उजागर करने पर वैश्विक प्रताड़ना झेलनी पड़ी।

सरकार सूचना देने वालों की सुरक्षा इस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है –

1. **सूचना देने वाले संरक्षण अधिनियम, 2014 को सशक्त बनाना**

इस अधिनियम में प्रतिशोध के लिए कड़ी सजा, त्वरित शिकायत निवारण तंत्र, और गोपनीय जानकारी देने वालों के लिए पहचान की सुरक्षा के प्रावधान जोड़े जाने चाहिए।

2. **स्वतंत्र सूचना उजागर करने वाली संस्थाओं की स्थापना**

   स्कैंडिनेवियाई देशों की लोकपाल प्रणाली की तर्ज पर एक समर्पित सूचना उजागरकर्ता संरक्षण आयोग की स्थापना की जानी चाहिए, जो निष्पक्ष रूप से शिकायतों की जाँच कर सके।

3. **संगठनों में आंतरिक सूचना देने की नीति को प्रोत्साहित करना**

   सार्वजनिक एवं निजी दोनों संस्थानों को यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि वे अपने भीतर ऐसे सुरक्षित माध्यम स्थापित करें, जिनके माध्यम से कर्मचारी भयमुक्त होकर अनैतिक गतिविधियों की सूचना दे सकें।

4. **वित्तीय एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना**

   सरकार द्वारा संचालित एक सूचना उजागरकर्ता सहायता निधि स्थापित की जानी चाहिए, जो वित्तीय सहायता, वित्तीय मुआवजा और पुनर्वास सहायता प्रदान कर सके।

5. **गोपनीयता और डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करना**

   ऐसी सुरक्षित डिजिटल प्रणाली और एन्क्रिप्टेड माध्यम विकसित किए जाने चाहिए, जो सूचना देने वालों की पहचान सुरक्षित रखें। उदाहरणस्वरूप, अमेरिका के प्रतिभूति आयोग का सूचना देने वाला कार्यक्रम पहचान को गोपनीय रखता है और नैतिक खुलासों को पुरस्कृत करता है।

6. **जन जागरूकता और नैतिक संवेदनशीलता बढ़ाना**

   नैतिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कर्मचारियों में नैतिक साहस विकसित किया जाना चाहिए। सूचना उजागर करने के लोकतांत्रिक महत्त्व को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए।

7. **पुरस्कार आधारित सूचना देने की नीति लागू करना**

   दक्षिण कोरिया और अमेरिका जैसे देश नैतिक खुलासों के लिए मौद्रिक प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। भारत में भी एक पुरस्कार आधारित तंत्र विकसित किया जाना चाहिए, जो उच्च स्तर के भ्रष्टाचार की सूचना देने को प्रोत्साहित करे।

8. **सूचना उजागर करने वालों की वैश्विक सुरक्षा हेतु सहयोग**

   जो व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी—जैसे धनशोधन, कर-चोरी—को उजागर करते हैं, उन्हें संयुक्त राष्ट्र के अभिसंधियों के तहत वैश्विक कानूनी सुरक्षा दी जानी चाहिए, ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

निष्कर्ष

सूचना उजागर करना पारदर्शिता, ईमानदारी और नैतिक प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए एक अत्यंत आवश्यक उपकरण है। तथापि, इससे जुड़ी नैतिक दुविधाएँ और जोखिम एक सशक्त कानूनी सुरक्षा प्रणाली और संस्थागत समर्थन की माँग करते हैं, जिससे उत्तरदायी खुलासों को प्रोत्साहन मिल सके। सरकार को मौजूदा कानूनों को सशक्त बनाना चाहिए, सूचना उजागरकर्ता संरक्षण तंत्र को प्रभावी रूप से लागू करना चाहिए, और ऐसी नैतिक जवाबदेही की संस्कृति निर्मित करनी चाहिए, जहाँ सूचना देने वालों को देशद्रोही नहीं बल्कि **न्याय के रक्षक** के रूप में देखा जाए।

18. सहानुभूति (Empathy), करुणा (Compassion) और उत्तरदायित्व (Accountability) को परिभाषित कीजिए। चर्चा कीजिए कि इन मूल्यों के बीच संतुलन किस प्रकार सार्वजनिक संस्थानों में नैतिक नेतृत्व को सुदृढ़ बनाता है।

I. सहानुभूति (Empathy)

सहानुभूति वह क्षमता है जिसके माध्यम से व्यक्ति दूसरों की भावनाओं और अनुभवों को समझ सकता है और उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ सकता है। यह लोक अधिकारियों को नागरिकों, विशेषकर वंचित वर्गों की दृष्टि से समस्याओं को समझने में सक्षम बनाती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई जिलाधिकारी बाढ़ प्रभावित गाँव का दौरा करता है और पीड़ितों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत करता है, तो यह सहानुभूतिपूर्ण नेतृत्व का उदाहरण है। प्रशासन में सहानुभूति समावेशी नीतियों, सेवा वितरण में संवेदनशीलता और शासन में भावनात्मक बुद्धिमत्ता को प्रोत्साहित करती है।

II. करुणा (Compassion)

करुणा, सहानुभूति पर आधारित होकर, दूसरों के कष्ट को दूर करने के लिए सकारात्मक कार्य करने की प्रेरणा देती है। यह प्रशासनिक उदासीनता को सक्रिय देखभाल में परिवर्तित करती है। उदाहरण के लिए, कोविड-19 संकट के दौरान कई भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों ने स्वयं ज़रूरतमंदों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर और भोजन की व्यवस्था की—जो करुणा-प्रेरित सेवा को दर्शाता है। करुणा यह सुनिश्चित करती है कि लोक सेवक केवल नियमों के प्रवर्तक नहीं, बल्कि मानवतावादी सहयोगी बनें, जिससे राज्य और नागरिक के बीच विश्वास उत्पन्न होता है।

III. उत्तरदायित्व (Accountability)

उत्तरदायित्व का अर्थ है—अपने कार्यों, निर्णयों और उनके परिणामों के लिए नैतिक रूप से उत्तरदायी होना। यह सुनिश्चित करता है कि लोक सेवक पारदर्शिता, ईमानदारी और विधिक शासन के अनुरूप कार्य करें। उदाहरण के लिए, यदि कोई अधिकारी परियोजना व्यय की जानकारी सूचना के अधिकार या ऑनलाइन डैशबोर्ड के माध्यम से सार्वजनिक करता है, तो यह उत्तरदायित्व का प्रमाण है। यह मूल्य सार्वजनिक संस्थाओं में विश्वास को सुदृढ़ करता है, भ्रष्टाचार को हतोत्साहित करता है, और लोक पद पर उत्तरदायित्व की भावना को बढ़ावा देता है।

इन मूल्यों के बीच संतुलन सार्वजनिक संस्थानों में नैतिक नेतृत्व को सशक्त बनाता है

1. **नागरिक केंद्रित शासन को बढ़ावा देता है**

   जब सहानुभूति और करुणा नीतियों को दिशा देती हैं और उत्तरदायित्व पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित करता है, तब शासन वास्तव में नागरिकों के हित में हो जाता है। उदाहरणस्वरूप, कोई अधिकारी यदि विधवा की पेंशन शिकायत को धैर्यपूर्वक सुनकर समय पर समाधान करता है, तो यह इस संतुलित नेतृत्व का प्रत्यक्ष रूप है।

2. **नौकरशाही उदासीनता को कम करता है**

   सहानुभूति और करुणा लोक सेवकों को लालफीताशाही से ऊपर उठने में मदद करती है। जब ये उत्तरदायित्व के साथ जुड़ती हैं, तो निष्क्रियता समाप्त होती है और सक्रिय सेवा को बढ़ावा मिलता है। उदाहरण के लिए, कोई अधिकारी यदि कल्याणकारी योजनाओं में अचानक निरीक्षण करता है, तो वह न केवल भावनात्मक जुड़ाव दिखाता है, बल्कि प्रदर्शन सुनिश्चित करता है।

3. **कठोरता और संवेदनशीलता के बीच संतुलन बनाता है**

   करुणाशील किंतु उत्तरदायी नेता अनुशासन को निर्दयता के बिना लागू करते हैं। जैसे, जब कोई अधिकारी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान वैकल्पिक आवास की व्यवस्था करता है, तो यह विधिक प्रवर्तन और मानवतावादी पुनर्वास के बीच संतुलन का उदाहरण है—जो प्रक्रिया संबंधी न्याय और नैतिक सोच को दर्शाता है।

4. **जन विश्वास और वैधता को प्रेरित करता है**

   जब नेतृत्व भावनात्मक रूप से संवेदनशील और नैतिक रूप से सुसंगत होता है, तो नागरिक संस्थाओं पर विश्वास करते हैं। सहानुभूति देखभाल को दर्शाती है, करुणा सद्भावना अर्जित करती है, और उत्तरदायित्व शासन में विश्वास पैदा करता है। ये सभी मिलकर राज्य की नैतिक वैधता को सुदृढ़ करते हैं।

5. **संघर्ष समाधान की क्षमता को बढ़ाता है**

   नैतिक नेता संघर्षों को बेहतर ढंग से सुलझाते हैं जब वे विभिन्न दृष्टिकोणों को समझते हैं (सहानुभूति), परिणामों की परवाह करते हैं (करुणा), और नियमों का पालन करते हैं (उत्तरदायित्व)। सांप्रदायिक तनाव क्षेत्रों में ऐसा संतुलित अधिकारी विश्वासपात्र शांतिदूत के रूप में कार्य करता है।

6. **कठिन निर्णयों में नैतिक साहस को बढ़ावा देता है**

   संतुलित मूल्य अधिकारियों को लोकप्रियता की अपेक्षा जनहित को प्राथमिकता देने में मदद करते हैं। उदाहरणस्वरूप, जब कोई अधिकारी लाभार्थी चयन में राजनीतिक दबाव को अस्वीकार करता है और साथ ही अपने निर्णय की व्याख्या सहानुभूति और करुणा के साथ करता है, तो वह नैतिक दृढ़ता का परिचय देता है।

7. **संस्थागत नैतिकता को सशक्त करता है**

   जब नेता इस त्रयी को व्यवहार में लाते हैं, तो यह संस्था के भीतर अखंडता की संस्कृति को स्थापित करता है। अधीनस्थ भी ऐसा व्यवहार अपनाते हैं, जिससे मूल्य आधारित सार्वजनिक प्रणाली का निर्माण होता है। इस प्रकार, नैतिक नेतृत्व संक्रामक बनकर संस्थागत परंपरा बन जाता है।

8. **समग्र विकास के परिणामों को सुनिश्चित करता है**

सहानुभूति और करुणा से युक्त नैतिक नेता केवल आँकड़ों और लक्ष्यों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वे प्रभाव, गरिमा और समावेशन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उत्तरदायित्व यह सुनिश्चित करता है कि ये परिणाम मापनीय, स्थायी और सभी वर्गों तक पहुँच योग्य हों।

निष्कर्ष

सहानुभूति, करुणा और उत्तरदायित्व अलग-अलग सद्गुण नहीं, बल्कि नैतिक शासन के परस्पर-निर्भर स्तंभ हैं। जब इनका समन्वय के साथ अभ्यास किया जाता है, तब यह नैतिक नेतृत्व, संस्थागत विश्वास और समावेशी लोक सेवा को बढ़ावा देता है। लोक सेवकों को इस नैतिक त्रयी को आंतरिक रूप से आत्मसात करने हेतु प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जिससे शासन प्रभावी और मानवीय दोनों बन सके—जैसा कि भारतीय संविधान के आदर्शों में परिकल्पित है।

19. आप उत्तर प्रदेश के एक जिले में मुख्य विकास अधिकारी (CDO) के पद पर तैनात हैं। एक स्थानीय विधायक आप पर दबाव बना रहा है कि आप एक जातिगत राजनीतिक संतुलन के नाम पर एक अयोग्य व्यक्ति को सरकारी कल्याणकारी पद के लिए चुनें। जबकि एक योग्य उम्मीदवार, जो किसी अन्य समुदाय से है, सभी पात्रताओं को पूरा करता है। विधायक आपको चेतावनी देता है कि यदि आपने उसकी बात नहीं मानी तो आपका तबादला करवा देगा।

इस स्थिति में क्या नैतिक मुद्दे हैं और आपके पास कौन-कौन से विकल्प उपलब्ध हैं? उचित तर्कों के साथ अपनी कार्यवाही का मार्ग सुझाइए।

नैतिक मुद्दे (Ethical Issues Involved)

1. **जनहित और राजनीतिक दबाव के बीच टकराव**

आप नैतिक रूप से जनहित की सेवा करने और योग्यता आधारित चयन सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं। विधायक के दबाव में आना प्रशासनिक तटस्थता को तोड़ता है और संस्थागत निष्पक्षता में जनता के विश्वास को कमज़ोर करता है।

2. **विधि के शासन और समानता के उल्लंघन का ख़तरा**

अयोग्य व्यक्ति का चयन संविधान के अनुच्छेद 14—विधि के समक्ष समता—का उल्लंघन है। यह प्रक्रिया की निष्पक्षता को चुनौती देता है और सार्वजनिक सेवा वितरण में मनमानी को बढ़ावा देता है।

3. **पेशेवर ईमानदारी और नैतिक साहस की परीक्षा**

विधायक द्वारा तबादले की धमकी आपकी व्यक्तिगत ईमानदारी, नैतिक साहस और अनुचित प्रभाव का विरोध करने की क्षमता की परीक्षा है, जो लोक सेवा आचरण नियमों में वर्णित मूल्यों का मूल है।

4. **सार्वजनिक नियुक्ति में जाति आधारित भेदभाव**

माँग पहचान आधारित पक्षपात को बढ़ावा देती है, जो धर्मनिरपेक्षता और निष्पक्षता के सिद्धांतों के विरुद्ध है, विशेषकर एक विविधतापूर्ण समाज में जहाँ नियुक्तियाँ योग्यता और समावेशिता पर आधारित होनी चाहिए।

5. **राजनीतिक अधिकार का दुरुपयोग**

विधायक द्वारा इस प्रकार का प्रयास सार्वजनिक पद का दुरुपयोग है, जो प्रतिनिधियों से अपेक्षित नैतिक मानकों का उल्लंघन करता है और संस्थागत स्वायत्तता को खतरे में डालता है।

6. **योग्य उम्मीदवारों का मनोबल गिराना**

अनुचित चयन योग्य लोगों को हतोत्साहित करता है और सरकारी भर्ती प्रक्रिया में अविश्वास उत्पन्न करता है, जिससे कल्याणकारी योजनाओं के दीर्घकालिक नैतिक आधार को क्षति पहुँचती है।

7. **शासन में जनता के विश्वास का क्षरण**

नौकरशाही द्वारा राजनीतिक पक्षपात को बढ़ावा देना जनता में निराशा और शासन के नैतिक आधार को कमज़ोर करता है, जिससे लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व पर प्रश्नचिन्ह लगता है।

उपलब्ध विकल्प (Options Available)

1. **विधायक के दबाव में आकर चयन करना**

   आप अयोग्य उम्मीदवार को चुन सकते हैं ताकि तबादला न हो। परंतु यह विकल्प नैतिकता, वैधता और जनहित के विरुद्ध है और राजनीतिक हस्तक्षेप को स्वीकार करने की खतरनाक परंपरा स्थापित करता है।

2. **माँग को अस्वीकार कर योग्य उम्मीदवार का चयन करना**

   यह संविधानिक मूल्यों और योग्यता को बनाए रखता है, भले ही इसका परिणाम तबादला हो। परंतु यह संस्थागत अखंडता और नैतिक उत्तरदायित्व को संरक्षित करता है।

3. **मामले को उच्च अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना**

   संभागीय आयुक्त या मुख्य सचिव को यह मामला सौंपना प्रक्रियागत वैधता और मनमानी से सुरक्षा सुनिश्चित करता है तथा संस्थागत समर्थन उपलब्ध कराता है।

4. **चयन प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ प्रलेखित करना**

   निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना, योग्यता आधारित मापदंडों और अंकों का प्रकाशन करना भविष्य में राजनीतिक या कानूनी जाँच के विरुद्ध एक मजबूत दस्तावेजी आधार प्रदान करता है।

5. **जिला नैतिक समिति से परामर्श लेना (यदि उपलब्ध हो)**

   यदि नैतिक सलाह निकाय संस्थागत रूप से मौजूद है, तो उससे परामर्श लेना एक तटस्थ और नैतिक समर्थन प्रदान करता है, जिससे निर्णय की वैधता और नैतिक आधार मजबूत होता है।

सुझाया गया कार्यपथ और उसका औचित्य

1. **योग्यता बनाए रखते हुए योग्य उम्मीदवार का चयन करना**

   मैं पूरी पारदर्शिता के साथ योग्यता आधारित चयन करूंगा और प्रक्रिया की प्रत्येक कड़ी को दस्तावेजित करूंगा। मेरी निष्ठा संविधान के प्रति है, व्यक्तियों के प्रति नहीं। ईमानदारी बनाए रखने के लिए तबादला एक छोटी कीमत है।

2. **विधायक से विनम्र किंतु दृढ़ संवाद करना**

   मैं यह स्पष्ट करूंगा कि जाति आधारित संतुलन संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है और इसे न्यायिक चुनौती दी जा सकती है। यह सम्मानपूर्ण किंतु सशक्त संवाद नैतिक कूटनीति और नैतिक दृढ़ता को दर्शाता है।

3. **उच्च अधिकारियों को दबाव की सूचना देना**

   संभागीय आयुक्त या मुख्य सचिव को सूचित करना मनमाने तबादले से सुरक्षा सुनिश्चित करता है और यह दर्शाता है कि मैं नियम-आधारित शासन को लेकर प्रतिबद्ध हूँ।

4. **कानूनी और नैतिक सीमाओं के भीतर कार्य करना**

   मेरा उत्तरदायित्व लोक सेवा आचरण नियमों, सेवा नैतिकता और सार्वजनिक जवाबदेही में निहित होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि यदि भविष्य में चुनौती आए, तो मैं विधिक और नैतिक रूप से मजबूत स्थिति में रहूँ।

5. **व्यक्तिगत सुरक्षा से ऊपर संस्थागत विश्वास को महत्त्व देना**

   तबादले अस्थायी और प्रक्रिया का हिस्सा हैं, परंतु नैतिकता से समझौता स्थायी क्षति करता है। नैतिक नेतृत्व की माँग है कि हम दीर्घकालिक संस्थागत मूल्यों को व्यक्तिगत सुविधा से ऊपर रखें।

6. **नैतिक शासन का उदाहरण स्थापित करना**

   यदि मैं दबाव का विरोध करते हुए निष्पक्षता सुनिश्चित करता हूँ, तो यह न्याय और तटस्थता की प्रशासनिक संस्कृति के निर्माण में योगदान होगा, जिसे भविष्य के अधिकारी और नागरिक अनुकरण कर सकेंगे।

7. **नैतिक दृढ़ता का अभ्यास करना**

   एक लोक सेवक के रूप में मुझे यह सदैव याद रखना चाहिए कि ईमानदारी का अर्थ है—कठिन परिस्थितियों में भी सही कार्य करना। नैतिक शुद्धता और संविधानिक नैतिकता को मेरे आचरण का मार्गदर्शक होना चाहिए।

निष्कर्ष

लोक सेवा संविधान द्वारा प्रदत्त एक पवित्र विश्वास है। बतौर मुख्य विकास अधिकारी, मेरी जवाबदेही कानून के प्रति है, राजनीतिक सुविधा के प्रति नहीं। भय के स्थान पर निष्पक्षता, और हेरफेर के स्थान पर योग्यता को चुनकर मैं यह सुनिश्चित करूँगा कि लोक सेवक के रूप में मेरा आचरण न्याय, समानता और नैतिक शासन का संरक्षक बना रहे—जो लोक प्रशासन की आत्मा है।

20. आप एक उप-जिलाधिकारी (SDM) के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ एक सरकारी परियोजना स्थानीय किसानों के विरोध के कारण अटकी हुई है। कुछ किसानों ने दलालों द्वारा धोखाधड़ी के आरोप लगाते हुए आपसे संपर्क किया है। साथ ही, विस्थापन और अपर्याप्त पुनर्वास के डर से किसान अपनी भूमि छोड़ने को तैयार नहीं हैं। किसानों की महिला नेता ने किसानों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए चेतावनी दी है कि यदि भूमि अधिग्रहण जारी रहा तो वे आत्मदाह कर लेंगी। प्रशासन पर परियोजना की समयसीमा पूरी करने का दबाव है।

इस स्थिति में कौन-कौन से विरोधाभासी हित शामिल हैं?

आप विकास की आवश्यकता और किसानों के अधिकारों के बीच संतुलन किस प्रकार स्थापित करेंगे?

इस परिदृश्य में एक विस्तृत कार्य योजना सुझाइए।

I. विरोधाभासी हित (Conflicting Interests)

1. **जनहित बनाम व्यक्तिगत अधिकार**

   यह परियोजना बुनियादी ढाँचे, रोज़गार और आर्थिक विकास जैसे व्यापक विकास लक्ष्यों को पूरा करती है। परंतु ये लक्ष्य किसानों के आजीविका, संपत्ति और पुनर्वास के अधिकारों से टकराते हैं, जिससे सामूहिक हित और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच नैतिक दुविधा उत्पन्न होती है।

2. **त्वरित कार्यान्वयन बनाम नैतिक शासन**

   समयसीमा के भीतर लक्ष्य प्राप्त करना प्रशासनिक रूप से आवश्यक हो सकता है, किंतु बिना सहमति और उचित मुआवजे के भूमि अधिग्रहण करना संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और गरिमा का अधिकार) तथा नैतिक उत्तरदायित्वों का उल्लंघन है।

3. **राज्य की विकास नीति बनाम स्थानीय आजीविका सुरक्षा**

   यह परियोजना राज्य की आर्थिक विकास नीति के अनुरूप है, लेकिन किसानों के लिए भूमि केवल संपत्ति नहीं, बल्कि पुश्तैनी आजीविका का आधार है। यह भावनात्मक और अस्तित्वगत संघर्ष को जन्म देती है।

4. **कानूनी प्रक्रिया बनाम सामाजिक स्वीकृति**

   भले ही भूमि अधिग्रहण विधिसम्मत हो, किंतु यदि समुदाय की सहभागिता, पारदर्शिता और विश्वास की कमी हो, तो इसका तीव्र विरोध और असंतोष उत्पन्न हो सकता है, जिससे प्रशासनिक वैधता कमज़ोर हो सकती है।

5. **प्रशासनिक दबाव बनाम नैतिक निर्णय-निर्माण**

   अनुशासनात्मक कार्रवाई, स्थानांतरण, या देरी का आरोप जैसे प्रशासनिक दबाव उप-विभागीय मजिस्ट्रेट पर पड़ सकते हैं। फिर भी एक लोक सेवक के रूप में निष्पक्षता और न्याय को प्राथमिकता देना अनिवार्य है।

6. **दीर्घकालिक शांति बनाम अल्पकालिक लक्ष्य**

   यदि भूमि अधिग्रहण जल्दबाज़ी और बलपूर्वक किया जाए, तो इससे दीर्घकालिक असंतोष, मुकदमेबाज़ी या हिंसा भी उत्पन्न हो सकती है, जो भविष्य की विकास पहलों को बाधित करेगा। सतत समाधान के लिए समावेशी और विश्वास आधारित रणनीति आवश्यक है।

7. **लैंगिक संवेदनशीलता बनाम क़ानून-व्यवस्था बनाए रखना**

   महिला किसानों द्वारा दी गई आत्मदाह की चेतावनी लैंगिक भावनात्मक संवेदनशीलता को दर्शाती है। इसे संवेदनशीलता के साथ सँभालना चाहिए, जबकि क़ानूनी व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा को भी बनाए रखा जाए।

II. किसानों के अधिकारों के साथ संतुलन स्थापित करना (Developing Balance with Farmers' Rights)

1. **पारदर्शी मुआवजा तंत्र सुनिश्चित करना**

   समयबद्ध, पर्याप्त और निष्पक्ष मुआवजा बाज़ार मूल्य, आजीविका हानि और महँगाई दर के अनुसार सुनिश्चित किया जाए। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) का प्रयोग कर बिचौलियों से बचा जा सकता है।

2. **सहभागी पुनर्वास ढाँचा तैयार करना**

   पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना किसानों की भागीदारी से तैयार की जाए। इसमें आवास, कौशल विकास, बच्चों की शिक्षा, और वैकल्पिक रोज़गार के विकल्प शामिल हों ताकि भविष्य सुरक्षित हो।

3. **सामाजिक लेखा परीक्षण और शिकायत निवारण प्रणाली लागू करना**

   धोखाधड़ी के आरोपों की निष्पक्ष जाँच हेतु किसी तीसरे पक्ष द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षण कराया जाए। ग्राम पंचायत स्तर पर शिकायत निवारण केंद्र स्थापित किए जाएँ जो शीघ्रता से व्यक्तिगत शिकायतों को सुलझाएँ।

4. **भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का पालन करना**

   उचित मुआवजा और पारदर्शिता संबंधी भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का पूर्णतः पालन हो—जिसमें जनसुनवाई, सहमति की शर्तें और मुआवजे के मानदंड शामिल हैं।

5. **सहानुभूतिपूर्ण एवं पारदर्शी संवाद बनाए रखना**

   किसानों विशेषकर महिलाओं के साथ अनेक जनसुनवाई आयोजित की जाएँ। परियोजना की पूरी जानकारी साझा करें, भय का समाधान करें, और विस्थापन संबंधी मानसिक चिंता को समझते हुए संवाद स्थापित करें।

6. **महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना**

   महिला समूहों को परामर्श प्रक्रिया में शामिल किया जाए और उन्हें आजीविका, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के संदर्भ में कानूनी आश्वासन दिया जाए। लैंगिक दृष्टिकोण से संवेदनशील नीति संवाद से विश्वास बहाल होता है।

III. मेरा कार्यपथ और उसका औचित्य (My Course of Action with Justification)

1. **बहु-हितधारक समिति का गठन करना**

   एक समिति गठित की जाए जिसमें ज़िला अधिकारी, विधिक सलाहकार, महिला प्रतिनिधि और स्वयंसेवी संगठन शामिल हों। यह समिति शिकायतों की जाँच करे, मुआवजा सुनिश्चित करे और पुनर्वास प्रक्रिया की निगरानी करे।

2. **भूमि अधिग्रहण को अस्थायी रूप से स्थगित करना**

   तनाव को कम करने और आत्मदाह जैसे गंभीर कदमों से बचने के लिए भूमि अधिग्रहण को अस्थायी रूप से रोका जाए। यह संवेदनशीलता और दूरदृष्टि का परिचायक होगा जिससे क़ानून-व्यवस्था संकट की संभावना घटेगी।

3. **धोखाधड़ी के आरोपों की स्वतंत्र जाँच कराना**

   न्यायिक या स्वतंत्र प्रशासनिक अधिकारी की देखरेख में समयबद्ध जाँच कराई जाए, और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इससे यह संदेश जाएगा कि भ्रष्टाचार के प्रति प्रशासन की शून्य सहनशीलता है।

4. **किसान समूहों और महिला नेताओं से संवाद स्थापित करना**

   शांतिपूर्ण वार्ता शुरू की जाए, प्रतिनिधियों को योजना में भागीदार बनाया जाए और भूमि अधिकार, पुनर्वास और मुआवजे के विषय में लिखित आश्वासन दिया जाए। इससे अधिकार आधारित दृष्टिकोण सुदृढ़ होगा।

5. **प्रशिक्षित परामर्शदाता और सामाजिक कार्यकर्ताओं की तैनाती**

   मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता और जमीनी स्तर के स्वयंसेवी संगठनों की सहायता ली जाए ताकि किसान मानसिक संकट से निपट सकें और विस्थापन की आशंका से उत्पन्न तनाव को कम किया जा सके।

6. **विस्थापन से पूर्व पुनर्वास संरचना को सुदृढ़ करना**

   पुनर्वास कॉलोनियाँ, विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्र अधिग्रहण से पहले तैयार किए जाएँ। इन स्थलों का पूर्वावलोकन कराकर किसानों को विश्वास दिलाया जाए कि प्रशासन उनके जीवन की गरिमा बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

7. **उच्च अधिकारियों को खुफिया रिपोर्ट भेजना**

   ज़िलाधिकारी एवं राज्य सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी जाए जिसमें जोखिम, समय-सीमा में बदलाव का सुझाव, और नैतिक तथा सतत क्रियान्वयन हेतु राजनीतिक समर्थन की माँग शामिल हो।

8. **संविधानिक और प्रशासनिक नैतिकता के सिद्धांतों पर आधारित कार्यवाही करना**

   अनुच्छेद 21 (जीवन और गरिमा का अधिकार) तथा सहानुभूति, न्याय, पारदर्शिता और जनहित के सिद्धांतों के अनुरूप कार्य किया जाए। यह एक नैतिक लोक नेतृत्व का उदाहरण प्रस्तुत करेगा।

निष्कर्ष

एक उपविभागीय दंडाधिकारी के रूप में मेरी प्रथम जिम्मेदारी है—नैतिक प्रशासन, सार्वजनिक सुरक्षा और सहभागी विकास को सुनिश्चित करना। मैं करुणा को उत्तरदायित्व के साथ, और विधिक मानकों को सामाजिक संवाद के साथ संतुलित करते हुए, ऐसा समाधान तलाशूँगा जो समावेशी विकास सुनिश्चित करे—बिना किसी प्रकार की ज़बरदस्ती के। विकास कभी भी मानवीय गरिमा और विश्वास की कीमत पर नहीं होना चाहिए, और नैतिक नेतृत्व इन दोनों लक्ष्यों को एक साथ साधने की कुंजी है।

NEXT IAS हिन्दी